



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-25022023-243919

CG-DL-W-25022023-243919

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक  
WEEKLY

---

|        |                                                                           |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| सं. 2] | नई दिल्ली, फरवरी 5—फरवरी 11, 2023, शनिवार/माघ 16—माघ 22, 1944             |
| No. 2] | NEW DELHI, FEBRUARY 5—FEBRUARY 11, 2023, SATURDAY/MAGHA 16—MAGHA 22, 1944 |

---

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

---

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)  
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

---

केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए साधारण आदेश और अधिसूचनाएं  
Orders and Notifications issued by the Central Authorities (Other than the Administrations of Union Territories)

---

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2022

आ.अ. 7.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग की दिनांक 25 सितम्बर, 2020 की प्रेस नोट सं. ईसीआई/पी0.एन0.64/2020 के अनुसरण में 208—सासाराम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए बिहार विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2020 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी भी निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करवाएगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के तहत उसके या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, बिहार के 208—सासाराम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन, 2020 का परिणाम, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दिनांक 10 नवंबर, 2020 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसम्बर, 2020 थी; और

**यतः**, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार के पत्रांक. EXP-21/2020 (खण्ड-208) सासाराम -7813, दिनांक 23.12.2020 के तहत उनसे प्राप्त जिला निर्वाचन अधिकारी, रोहतास की निर्वाचन व्ययों के लेखा दाखिल करने की बाबत रिपोर्ट के अनुसार, श्री अजय कुमार सिंह, जो बिहार के 208-सासाराम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2020 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के तहत, विधि के अंतर्गत यथा अपेक्षित निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

**यतः**, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री अजय कुमार सिंह को कारण बताओ नोटिस सं. 76/बिहार.वि. स/2020/सीईएमएस-III, दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था; और

**यतः**, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, श्री अजय कुमार सिंह को लेखे दाखिल नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को लिखित में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, रोहतास को लेखा प्रस्तुत करने का भी निदेश दिया गया था; और

**यतः**, जिला निर्वाचन अधिकारी, रोहतास ने अपने पत्र सं. 536/ निर्वा0 दिनांक 14.05.2022 से बताया है कि उक्त नोटिस श्री अजय कुमार सिंह द्वारा 19.08.2021 को तामील किया गया था; और

**यतः**, जिला निर्वाचन अधिकारी, रोहतास ने आगे अपनी अनुपूरक रिपोर्ट सं. 536/निर्वा0, दिनांक 14 .05.2022 में यह कहा है कि श्री अजय कुमार सिंह ने न तो कोई इस संबंध में स्पष्टीकरण दिया न ही निर्वाचन व्ययों के सही लेखे का कोई विवरण प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त नोटिस के प्राप्त होने के बाद श्री अजय कुमार सिंह ने विधि के तहत यथा निर्धारित लेखा दाखिल करने में असफल रहने के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

**यतः**, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”;

**यतः**, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री अजय कुमार सिंह, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

**अतः**, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार के 208-सासाराम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2020 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री अजय कुमार सिंह, निवासी- ग्राम-घटमापुर, थाना-सासाराम(मु.) पोस्ट ऑफिस-करवंदिया, जिला-रोहतास इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/बिहार/वि.स./2020/208/सी.ई.एम.एस.-III]

आदेश से,

बिनोद कुमार, सचिव

## ELECTION COMMISSION OF INDIA

### ORDER

New Delhi, the 20th September, 2022

**O.N. 7.—WHEREAS**, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020.

**AND, WHEREAS,** as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

**AND, WHEREAS,** the result of the said election along with 208-Sasaram Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10<sup>th</sup> November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10<sup>th</sup> December, 2020;

**AND WHEREAS,** As per the letter of Chief Electoral Officer, Bihar dated 21<sup>st</sup> December, 2020, vide letter no. Exp-21/2020(Vol.-208)Rohtas/7740, on the basis of scrutiny report submitted by the District Election Officer, **Rohtas**, Bihar, **Shri Ajay Kumar Singh**, a contesting candidate from **208-Sasaram** Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required by law under Rule 89 sub-rule (1).

**AND WHEREAS,** on the basis of the reports of **the District Election Officer, Rohtas**, Bihar Show-Cause Notice no. 76/बिहार.वि. स/2020/सीईएमएस-III dated 25<sup>th</sup> June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Shri Ajay Kumar Singh**, for not lodging the account of Election Expenses;

**AND WHEREAS,** As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, **Shri Ajay Kumar Singh** was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

**AND WHEREAS, District Election Officer, Rohtas**, vide its letter no. 536/Nir. dated 14.05.2022 informed to the Commission that the said notice was received by the candidate's brother, Bittu Kumar, on 19.08.2021;

**AND WHEREAS, the District Election Officer, Rohtas**, in his Supplementary Report, vide its letter No. 536/Nir. Dated 14.05.2022 has reported that **Shri Ajay Kumar Singh**, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure;

**AND WHEREAS,** the Commission is satisfied that **Shri Ajay Kumar Singh**, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

**AND WHEREAS,** Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- i. has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and
- ii. has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order”;

NOW, **THEREFORE**, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Ajay Kumar Singh**, resident of **Village+Post-Saankh, Bhaya-Raajoda, Thana-Musphil, District- Rohtas**, a contesting candidate from 208- Sasaram Assembly Constituency during General Election to the Legislative Assembly of Bihar 2020, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/208/CEMS-III]

By Order,

BINOD KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2022

**आ.अ. 8.—**यतः, भारत निर्वाचन आयोग की दिनांक 25 सितम्बर, 2020 की प्रेसनोट सं.ईसीआई/पी.एन./64/2020 के अनुसरण में **208-सासाराम** विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए बिहार विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2020 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी भी निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे जिला

निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करवाएगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के तहत उसके या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, बिहार के 208-सासाराम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन, 2020 का परिणाम, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दिनांक 10 नवंबर, 2020 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसम्बर, 2020 थी; और

यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार के पत्रांक. EXP-21/2020(खण्ड-208)सासाराम -7813, दिनांक 23.12.2020 के तहत उनसे प्राप्त जिला निर्वाचन अधिकारी, रोहतास की निर्वाचन व्ययों के लेखा दाखिल करने की बाबत रिपोर्ट के अनुसार, श्री अरुण कुमार, जो बिहार के 208-सासाराम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2020 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के तहत, विधि के अंतर्गत यथा अपेक्षित निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री अरुण कुमार को कारण बताओ नोटिस सं. 76/बिहार.वि. स/2020/सीईएमएस-III, दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, श्री अरुण कुमार को लेखे दाखिल नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को लिखित में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, रोहतास को लेखा प्रस्तुत करने का भी निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रोहतास ने अपने पत्र सं. 536/ निर्वा0 दिनांक 14.05.2022 से बताया है कि उक्त नोटिस श्री अरुण कुमार द्वारा 19.08.2021 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रोहतास ने आगे अपनी अनुपूरक रिपोर्ट सं. 536/निर्वा0, दिनांक 14 .05.2022 में यह कहा है कि श्री अरुण कुमार ने न तो कोई इस संबंध में स्पष्टीकरण दिया न ही निर्वाचन व्ययों के सही लेखे का कोई विवरण प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त नोटिस के प्राप्त होने के बाद श्री अरुण कुमार ने विधि के तहत यथा निर्धारित लेखा दाखिल करने में असफल रहने के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री अरुण कुमार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार के 208-सासाराम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2020 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री अरुण कुमार, निवासी-मोहल्ला-भारतीगंज, वार्ड सं.-20, पोस्ट+थाना-सासाराम, जिला-रोहतास इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/बिहार/वि.स./2020/208/सी.ई.एम.एस.-III]

आदेश से,

बिनोद कुमार, सचिव

**ORDER**

New Delhi, the 20th September, 2022

**O.N. 8.—WHEREAS**, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020.

**AND, WHEREAS**, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

**AND, WHEREAS**, the result of the said election along with 208-Sasaram Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10<sup>th</sup> November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10<sup>th</sup> December, 2020;

**AND WHEREAS**, As per the letter of Chief Electoral Officer, Bihar dated 21<sup>st</sup> December, 2020, vide letter no. Exp-21/2020(Vol.-208)Rohtas/7740, on the basis of scrutiny report dated 12-12-2020 submitted by the District Election Officer, Rohtas, Bihar, **Shri Arun Kumar**, a contesting candidate from **208-Sasaram** Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required by law under Rule 89 sub-rule (1).

**AND WHEREAS**, on the basis of the reports of **the District Election Officer, Rohtas**, Bihar Show-Cause Notice no. 76/बिहार.वि. स/2020/सीईएमएस-III dated 25<sup>th</sup> June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Shri Arun Kumar**, for not lodging the account of Election Expenses;

**AND WHEREAS**, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, **Shri Arun Kumar** was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

**AND WHEREAS**, **District Election Officer, Rohtas**, vide its letter no. 536/Nir. dated 14.05.2022 informed to the Commission that the said notice was received by the candidate on 19.08.2021;

**AND WHEREAS**, **the District Election Officer, Rohtas**, in his Supplementary Report, vide its letter No. 536/Nir. Dated 14.05.2022 has reported that **Shri Ajay Kumar Singh**, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure;

**AND WHEREAS**, the Commission is satisfied that **Shri Arun Kumar**, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

**AND WHEREAS**, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- i. has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and
- ii. has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order”;

NOW, **THEREFORE**, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Arun Kumar**, resident of **Mohalla-Bhartiganj, Ward No.-20, Post+Thana- Sasaram, District- Rohtas**, a contesting candidate from 208- Sasaram Assembly Constituency during General Election to the Legislative Assembly of Bihar 2020, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/208/CEMS-III]

By Order,

BINOD KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2022

**आ.अ. 9.—यतः**, भारत निर्वाचन आयोग की दिनांक 25 सितम्बर, 2020 की प्रेस नोट सं. ईसीआई/पी0.एन0.64/2020 के अनुसरण में **208-सासाराम** विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए बिहार विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2020 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी भी निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करवाएगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के तहत उसके या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, बिहार के 208-सासाराम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन, 2020 का परिणाम, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दिनांक 10 नवंबर, 2020 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसम्बर, 2020 थी; और

यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार के पत्रांक. EXP-21/2020(खण्ड-208)सासाराम -7813, दिनांक 23.12.2020 के तहत उनसे प्राप्त जिला निर्वाचन अधिकारी, रोहतास की निर्वाचन व्ययों के लेखा दाखिल करने की बाबत रिपोर्ट के अनुसार, श्रीमती अमला त्रिपाठी, जो बिहार के 208-सासाराम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2020 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के तहत, विधि के अंतर्गत यथा अपेक्षित निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्रीमती अमला त्रिपाठी को कारण बताओ नोटिस सं. 76/बिहार.वि. स/2020/सीईएमएस-III, दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, श्रीमती अमला त्रिपाठी को लेखे दाखिल नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को लिखित में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, रोहतास को लेखा प्रस्तुत करने का भी निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रोहतास ने अपने पत्र सं. 536/ निर्वा0 दिनांक 14.05.2022 से बताया है कि उक्त नोटिस श्रीमती अमला त्रिपाठी द्वारा 19.08.2021 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रोहतास ने आगे अपनी अनुपूरक रिपोर्ट सं. 536/निर्वा0, दिनांक 14 .05.2022 में यह कहा है कि श्रीमती अमला त्रिपाठी ने न तो कोई इस संबंध में स्पष्टीकरण दिया न ही निर्वाचन व्ययों के सही लेखे का कोई विवरण प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त नोटिस के प्राप्त होने के बाद श्रीमती अमला त्रिपाठी ने विधि के तहत यथा निर्धारित लेखा दाखिल करने में असफल रहने के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

- (क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- (ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्रीमती अमला त्रिपाठी, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार के 208- सासाराम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2020 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्रीमती अमला त्रिपाठी, निवासी-ग्राम-कुरी, थाना-नोखा, जिला-रोहतास इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/बिहार/वि.स./2020/208/सी.ई.एम.एस.-III]

आदेश से,

बिनोद कुमार, सचिव

**ORDER**

New Delhi, the 20th September, 2022

**O.N. 9.—WHEREAS**, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020.

**AND, WHEREAS**, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

**AND, WHEREAS**, the result of the said election along with 208-Sasaram Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10<sup>th</sup> November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10<sup>th</sup> December, 2020;

**AND WHEREAS**, As per the letter of Chief Electoral Officer, Bihar dated 21<sup>st</sup> December, 2020, vide letter no. Exp-21/2020(Vol.-208)Rohtas/7740, on the basis of scrutiny report submitted by the District Election Officer, **Rohtas, Bihar, Smt. Amla Tripathi**, a contesting candidate from **208-Sasaram** Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required by law under Rule 89 sub-rule (1).

**AND WHEREAS**, on the basis of the reports of **the District Election Officer, Rohtas, Bihar** Show-Cause Notice no. 76/बिहार.वि. स/2020/सीईएमएस-III dated 25<sup>th</sup> June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Smt. Amla Tripathi**, for not lodging the account of Election Expenses;

**AND WHEREAS**, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, **Smt. Amla Tripathi** was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

**AND WHEREAS, District Election Officer, Rohtas**, vide its letter no. 536/Nir. dated 14.05.2022 informed to the Commission that the said notice was received by the candidate on 19.08.2021;

**AND WHEREAS, the District Election Officer, Rohtas**, in his Supplementary Report, vide its letter No. 536/Nir. Dated 14.05.2022 has reported that **Shri Ajay Kumar Singh**, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure;

**AND WHEREAS**, the Commission is satisfied that **Smt. Amla Tripathi**, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

**AND WHEREAS**, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- i. has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and
- ii. has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order”;

NOW, **THEREFORE**, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Smt. Amla Tripathi**, resident of **Village- Kuri, Thana- Nokha, District- Rohtas**, a contesting candidate from 208- Sasaram Assembly Constituency during General Election to the Legislative Assembly of Bihar 2020, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/208/CEMS-III]

By Order,

BINOD KUMAR, Secy.

## आदेश

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2022

**आ.अ. 10.—यतः**, भारत निर्वाचन आयोग की दिनांक 25 सितम्बर, 2020 की प्रेस नोट सं. ईसीआई/पी0.एन0/64/2020 के अनुसरण में **95-काँटी** विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए बिहार विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2020 आयोजित किया गया था; और

**यतः**, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी भी निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करवाएगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के तहत उसके या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

**यतः**, बिहार के **95-काँटी** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन, 2020 का परिणाम, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दिनांक 10 नवंबर, 2020 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसम्बर, 2020 थी; और

**यतः**, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार के पत्रांक. EXP-21/2020(खण्ड-95) काँटी -16, दिनांक 04.01.2021 के तहत उनसे प्राप्त **जिला निर्वाचन अधिकारी, मुजफ्फरपुर** की निर्वाचन व्ययों के लेखा दाखिल करने की बाबत रिपोर्ट संख्या 2333 दिनांक 16.12.2020 के अनुसार, **श्री सुनील कुमार**, जो बिहार के **95-काँटी** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2020 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के तहत, विधि के अंतर्गत यथा अपेक्षित निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

**यतः**, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए **श्री सुनील कुमार** को कारण बताओ नोटिस सं. 76/बिहार.वि.स/2020/95/सीईएमएस-III, दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था; और

**यतः**, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, **श्री सुनील कुमार** को लेखे दाखिल नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को लिखित में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, **मुजफ्फरपुर** को लेखा प्रस्तुत करने का भी निदेश दिया गया था; और

**यतः**, जिला निर्वाचन अधिकारी, **मुजफ्फरपुर** ने अपने पत्र सं. 796/ निर्वा0 दिनांक 21.06.2022 से बताया है कि उक्त नोटिस अभ्यर्थी के पिता श्री कृष्ण कुमार साह के द्वारा दिनांक 13.12.2021 को तामील किया गया था; और

**यतः**, जिला निर्वाचन अधिकारी, **मुजफ्फरपुर** ने आगे अपनी अनुपूरक रिपोर्ट सं. 943/निर्वा0, दिनांक 21.12.2021 में यह कहा है कि **श्री सुनील कुमार** ने न तो कोई इस संबंध में स्पष्टीकरण दिया न ही निर्वाचन व्ययों के सही लेखे का कोई विवरण प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त नोटिस के प्राप्त होने के बाद **श्री सुनील कुमार** ने विधि के तहत यथा निर्धारित लेखा दाखिल करने में असफल रहने के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

**यतः**, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”;

**यतः**, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री सुनील कुमार**, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार के 95- काँटी, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2020 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री सुनील कुमार, निवासी ग्राम- कोईरिया निजामत, पोस्ट- पारू, थाना- पारू, जिला- मुजफ्फरपुर इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/बिहार-वि.स./2020/95/सी.ई.एम.एस.-III]

आदेश से,

बिनोद कुमार, सचिव

## ORDER

New Delhi, the 30th September, 2022

**O.N. 10.—WHEREAS**, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020.

**AND, WHEREAS**, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

**AND, WHEREAS**, the result of the said election along with 95- Kanti Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10<sup>th</sup> November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10<sup>th</sup> December, 2020;

**AND WHEREAS**, As per the letter of Chief Electoral Officer, Bihar dated 04.01.2021 vide letter no. Exp-21/2020(Vol.-95) Kanti -16, on the basis of scrutiny report no. 2333 date 16.12.2020 submitted by the District Election Officer, Muzaffarpur, Bihar, Sh. Sunil Kumar, a contesting candidate from 95- Kanti Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required by law under Rule 89 sub-rule (1).

**AND WHEREAS**, on the basis of the reports of the District Election Officer, Muzaffarpur, Bihar Show-Cause Notice no. 76/बिहार.वि. स/2020/95/सीईएमएस-III dated 25<sup>th</sup> June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Sh. Sunil Kumar, for not lodging the account of Election Expenses;

**AND WHEREAS**, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, Sh. Sunil Kumar was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

**AND WHEREAS**, District Election Officer, Muzaffarpur, vide its letter no. 796/Nir. dated 21.06.2022 informed to the Commission that the said notice was received by the candidate's father Sh. Krishan Kumar Sah on 13.12.2021;

**AND WHEREAS**, the District Election Officer, Muzaffarpur, in his Supplementary Report, vide its letter No. 943/Nir. Dated 21.12.2021 has reported that Sh. Sunil Kumar, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure;

**AND WHEREAS**, the Commission is satisfied that Sh. Sunil Kumar, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

**AND WHEREAS**, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- i. has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and
- ii. has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order”;

NOW, **THEREFORE**, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Sh. Sunil Kumar, resident of Garam- Koeriya Nijamat, Post- Paru, Thana- Paru, Distt- Muzaffarpur a contesting candidate from 95- Kanti Assembly Constituency during General

Election to the Legislative Assembly of Bihar 2020, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/95/CEMS-III]

By Order,

BINOD KUMAR, Secy.

### आदेश

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2022

**आ.अ. 11.—यतः**, भारत निर्वाचन आयोग की दिनांक 25 सितम्बर, 2020 की प्रेस नोट सं. ईसीआई/पी0.एन0.64/2020 के अनुसरण में **68- बरारी** विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए बिहार विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2020 आयोजित किया गया था; और

**यतः**, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी भी निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करवाएगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के तहत उसके या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

**यतः**, बिहार के **68- बरारी** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन, 2020 का परिणाम, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दिनांक 10 नवंबर, 2020 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसम्बर, 2020 थी; और

**यतः**, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार के पत्रांक. EXP-21/2020(खण्ड-68) बरारी -204, दिनांक 07.01.2021 के तहत उनसे प्राप्त **जिला निर्वाचन अधिकारी, कटिहार** की निर्वाचन व्ययों के लेखा दाखिल करने की बाबत रिपोर्ट दिनांक- 12.12.2020 के अनुसार, **श्री नसीम अख्तर**, जो बिहार के **68- बरारी** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2020 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के तहत, विधि के अंतर्गत यथा अपेक्षित निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

**यतः**, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए **श्री नसीम अख्तर** को कारण बताओ नोटिस सं. 76/बिहार.वि. स/2020/68/सीईएमएस-III, दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था; और

**यतः**, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, **श्री नसीम अख्तर** को लेखे दाखिल नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को लिखित में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, **कटिहार** को लेखा प्रस्तुत करने का भी निदेश दिया गया था;

**यतः**, जिला निर्वाचन अधिकारी, **कटिहार** ने अपने पत्र सं. 341/ निर्वा0 दिनांक 17.06.2022 से बताया है कि उक्त नोटिस अभ्यर्थी की बहन सगुफ्ता प्रवीण द्वारा 13.05.2022 को तामील किया गया था; और

**यतः**, जिला निर्वाचन अधिकारी, **कटिहार** ने आगे अपनी अनुपूरक रिपोर्ट सं. 341/निर्वा0, दिनांक 17.06.2022 में यह कहा है कि **श्री नसीम अख्तर** ने न तो कोई इस संबंध में स्पष्टीकरण दिया न ही निर्वाचन व्ययों के सही लेखे का कोई विवरण प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त नोटिस के प्राप्त होने के बाद **श्री नसीम अख्तर** ने विधि के तहत यथा निर्धारित लेखा दाखिल करने में असफल रहने के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

**यतः**, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।";

**यतः**, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री नसीम अख्तर**, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

**अतः**, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार के **68- बरारी, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2020** से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **श्री नसीम अख्तर, निवासी बगहाबारी, जगरनाथपुर थाना+अंचल- हसनगंज, जिला- कटिहार**। इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/बिहार-वि.स./2020/68/सी.ई.एम.एस.-III]

आदेश से,

बिनोद कुमार, सचिव

### ORDER

New Delhi, the 30th September, 2022

**O.N. 11.—WHEREAS**, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020.

**AND, WHEREAS**, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

**AND, WHEREAS**, the result of the said election along with **68- Barari** Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10<sup>th</sup> November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10<sup>th</sup> December, 2020;

**AND WHEREAS**, As per the letter of Chief Electoral Officer, Bihar dated 07.01.2021 vide letter no. Exp-21/2020(Vol.-68) **Barari** - 204, on the basis of scrutiny report submitted date- 12.12.2020 by the **District Election Officer, Katihar**, Bihar, **Nasim Akhtar**, a contesting candidate from **68- Barari** Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required by law under Rule 89 sub-rule (1).

**AND WHEREAS**, on the basis of the reports of **the District Election Officer, Katihar**, Bihar Show-Cause Notice no. 76/बिहार.वि. स/2020/68/सीईएमएस-III dated 25<sup>th</sup> June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Nasim Akhtar**, for not lodging the account of Election Expenses;

**AND WHEREAS**, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, **Nasim Akhtar** was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

**AND WHEREAS**, **District Election Officer, Katihar**, vide its letter no. 341/Nir. dated 17.06.2022 informed to the Commission that the said notice was received by the candidate's Sister Sgufta Parveen on 13.05.2022;

**AND WHEREAS**, **the District Election Officer, Katihar**, in his Supplementary Report, vide its letter No. 341/Nir. Dated 17.06.2022 has reported that **Nasim Akhtar**, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure;

**AND WHEREAS**, the Commission is satisfied that **Nasim Akhtar**, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

**AND WHEREAS**, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

- i. has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and
- ii. has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, **THEREFORE**, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Nasim Akhtar**, resident of **Vill- Baghabari, Jagarnathpur, P.S+Anchal- Hasanganj, Distt- Katihar** a contesting candidate from **68- Barari** Assembly Constituency during General Election to the Legislative Assembly of Bihar 2020, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/68/CEMS-III]

By Order,

BINOD KUMAR, Secy.

### आदेश

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2022

**आ.अ. 12.—यतः**, भारत निर्वाचन आयोग की दिनांक 25 सितम्बर, 2020 की प्रेस नोट सं. ईसीआई/पी0.एन0.64/2020 के अनुसरण में **65-बलरामपुर** विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए बिहार विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2020 आयोजित किया गया था; और

**यतः**, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी भी निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करवाएगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के तहत उसके या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

**यतः**, बिहार के **65-बलरामपुर** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन, 2020 का परिणाम, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दिनांक 10 नवंबर, 2020 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसम्बर, 2020 थी; और

**यतः**, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार के पत्रांक. EXP-21/2020(खण्ड-65) बलरामपुर-209, दिनांक 07.01.2021 के तहत उनसे प्राप्त **जिला निर्वाचन अधिकारी, कटिहार** की निर्वाचन व्ययों के लेखा दाखिल करने की बाबत रिपोर्ट दिनांक- 12.12.2020 के अनुसार, **श्री साकिर आलम**, जो बिहार के **65-बलरामपुर** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2020 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के तहत, विधि के अंतर्गत यथा अपेक्षित निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

**यतः**, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए **श्री साकिर आलम** को कारण बताओ नोटिस सं. 76/बिहार.वि. स/2020/65/सीईएमएस-III, दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था; और

**यतः**, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, **श्री साकिर आलम** को लेखे दाखिल नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को लिखित में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, **कटिहार** को लेखा प्रस्तुत करने का भी निदेश दिया गया था;

**यतः**, जिला निर्वाचन अधिकारी, **कटिहार** ने अपने पत्र सं. 341/ निर्वा0 दिनांक 17.06.2022 से बताया है कि उक्त नोटिस अभ्यर्थी के छोटे भाई **मिनहाज़** द्वारा 17.05.2022 को तामील किया गया था; और

**यतः**, जिला निर्वाचन अधिकारी, **कटिहार** ने आगे अपनी अनुपूरक रिपोर्ट सं. 341/निर्वा0, दिनांक 17.06.2022 में यह कहा है कि **श्री साकिर आलम** ने न तो कोई इस संबंध में स्पष्टीकरण दिया न ही निर्वाचन व्ययों के सही लेखे का कोई विवरण प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त नोटिस के प्राप्त होने के बाद **श्री साकिर आलम** ने विधि के तहत यथा निर्धारित लेखा दाखिल करने में असफल रहने के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

**यतः**, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(ग) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(घ) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।";

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री साकिर आलम, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार के 65-बलरामपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2020 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री साकिर आलम, निवासी- ग्राम बसलगावं, पोस्ट - बाटना, वाया बरसोई घाट, जिला - कटिहार (बिहार), इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/बिहार-वि.स./2020/65/सी.ई.एम.एस.-III]

आदेश से,

बिनोद कुमार, सचिव

## ORDER

New Delhi, the 30th September, 2022

**O.N. 12.—WHEREAS**, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020.

**AND, WHEREAS**, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

**AND, WHEREAS**, the result of the said election along with 65-Balrampur Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10<sup>th</sup> November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10<sup>th</sup> December, 2020;

**AND WHEREAS**, As per the letter of Chief Electoral Officer, Bihar dated 07.01.2021 vide letter no. Exp-21/2020(Vol.-65)Balrampur-209, on the basis of scrutiny report dated- 12.12.2020 submitted by the District Election Officer, Katihar, Bihar, **Shri Sakir Alam**, a contesting candidate from 65-Balrampur Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required by law under Rule 89 sub-rule (1).

**AND WHEREAS**, on the basis of the reports of **the District Election Officer, Katihar**, Bihar Show-Cause Notice no. 76/बिहार.वि. स/2020/65/सीईएमएस-III dated 25<sup>th</sup> June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Shri Sakir Alam**, for not lodging the account of Election Expenses;

**AND WHEREAS**, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, **Shri Sakir Alam** was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

**AND WHEREAS**, **District Election Officer, Katihar**, vide its letter no. 341/Nir. dated 17.06.2022 informed to the Commission that the said notice was received by the candidate's younger Brother, Minhaz, on 17.05.2022;

**AND WHEREAS**, **the District Election Officer, Katihar**, in his Supplementary Report, vide its letter No. 341/Nir. Dated 17.06.2022 has reported that **Shri Sakir Alam**, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure;

**AND WHEREAS**, the Commission is satisfied that **Shri Sakir Alam**, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

**AND WHEREAS**, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

- i. has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

ii. has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order”;

NOW, **THEREFORE**, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Sakir Alam**, resident of **Village—Basalgaon, Post—Batna, via—Barsoi Ghat, Distt.—Katihar (Bihar)** a contesting candidate from 65-Balrampur Assembly Constituency during General Election to the Legislative Assembly of Bihar 2020, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/65/CEMS-III]

By Order,  
BINOD KUMAR, Secy.

### आदेश

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2022

**आ.अ. 13.—यतः**, भारत निर्वाचन आयोग की दिनांक 25 सितम्बर, 2020 की प्रेस नोट सं. ईसीआई/पी0.एन0/64/2020 के अनुसरण में **65-बलरामपुर** विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए बिहार विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2020 आयोजित किया गया था; और

**यतः**, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी भी निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करवाएगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के तहत उसके या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

**यतः**, बिहार के **65-बलरामपुर** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन, 2020 का परिणाम, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दिनांक 10 नवंबर, 2020 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसम्बर, 2020 थी; और

**यतः**, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार के पत्रांक. EXP-21/2020(खण्ड-65)बलरामपुर -209, दिनांक 07.01.2021 के तहत उनसे प्राप्त **जिला निर्वाचन अधिकारी, कटिहार** की निर्वाचन व्ययों के लेखा दाखिल करने की बाबत रिपोर्ट दिनांक- 12.12.2020 के अनुसार, **श्री मुनब्वर हुसैन**, जो बिहार के **65-बलरामपुर** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2020 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के तहत, विधि के अंतर्गत यथा अपेक्षित निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

**यतः**, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए **श्री मुनब्वर हुसैन** को कारण बताओ नोटिस सं. 76/बिहार.वि. स/2020/65/सीईएमएस-III, दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था; और

**यतः**, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, **श्री मुनब्वर हुसैन** को लेखे दाखिल नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को लिखित में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, **कटिहार** को लेखा प्रस्तुत करने का भी निदेश दिया गया था;

**यतः**, जिला निर्वाचन अधिकारी, **कटिहार** ने अपने पत्र सं. 341/ निर्वा0 दिनांक 17.06.2022 से बताया है कि उक्त नोटिस अभ्यर्थी के चाचा मोहम्मद अफजुद्दिन द्वारा 12.05.2022 को तामील किया गया था; और

**यतः**, जिला निर्वाचन अधिकारी, **कटिहार** ने आगे अपनी अनुपूरक रिपोर्ट सं. 341/निर्वा0, दिनांक 17.06.2022 में यह कहा है कि **श्री मुनब्वर हुसैन** ने न तो कोई इस संबंध में स्पष्टीकरण दिया न ही निर्वाचन व्ययों के सही लेखे का कोई विवरण प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त नोटिस के प्राप्त होने के बाद **श्री मुनब्वर हुसैन** ने विधि के तहत यथा निर्धारित लेखा दाखिल करने में असफल रहने के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री मुनब्बर हुसैन, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार के 65-बलरामपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2020 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री मुनब्बर हुसैन, निवासी-ग्राम-माहीनगर, पोस्ट-बिचौर हाट, थाना-बरसोई, जिला-कटिहार, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/बिहार-वि.स./2020/65/सी.ई.एम.एस.-III]

आदेश से,

बिनोद कुमार, सचिव

## ORDER

New Delhi, the 30th September, 2022

**O.N. 13.—WHEREAS**, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020.

**AND, WHEREAS**, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

**AND, WHEREAS**, the result of the said election along with 65-Balrampur Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10<sup>th</sup> November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10<sup>th</sup> December, 2020;

**AND WHEREAS**, As per the letter of Chief Electoral Officer, Bihar dated 07.01.2021 vide letter no. Exp-21/2020(Vol.-65)Balrampur-209, on the basis of scrutiny report date- 12.12.2020 submitted by the District Election Officer, Katihar, Bihar, **Shri Munovar Husain**, a contesting candidate from **65-Balrampur** Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required by law under Rule 89 sub-rule (1).

**AND WHEREAS**, on the basis of the reports of **the District Election Officer, Katihar, Bihar** Show-Cause Notice no. 76/बिहार.वि. स/2020/65/सीईएमएस-III dated 25<sup>th</sup> June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Shri Munovar Husain**, for not lodging the account of Election Expenses;

**AND WHEREAS**, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, **Shri Munovar Husain** was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

**AND WHEREAS**, **District Election Officer, Katihar**, vide its letter no. 341/Nir. dated 17.06.2022 informed to the Commission that the said notice was received by the candidate's Uncle, Mohd. Affazuddin on 12.05.2022;

**AND WHEREAS**, **the District Election Officer, Katihar**, in his Supplementary Report, vide its letter No. 341/Nir. Dated 17.06.2022 has reported that **Shri Munovar Husain**, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure;

**AND WHEREAS**, the Commission is satisfied that **Shri Munovar Husain**, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

**AND WHEREAS**, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- i. has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and
- ii. has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order”;

NOW, **THEREFORE**, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Munovar Husain**, resident of **Village—Mahinagar, Post-Bighaur hat, PS—Barsoi, Distt.—Katihar (Bihar)** a contesting candidate from 65-Balrampur Assembly Constituency during General Election to the Legislative Assembly of Bihar 2020, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/65/CEMS-III]

By Order,

BINOD KUMAR, Secy.

### आदेश

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2022

**आ.अ. 14.—यतः**, भारत निर्वाचन आयोग की दिनांक 25 सितम्बर, 2020 की प्रेस नोट सं. ईसीआई/पी0.एन0.64/2020 के अनुसरण में **64-कदवा** विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए बिहार विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2020 आयोजित किया गया था; और

**यतः**, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी भी निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करवाएगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के तहत उसके या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

**यतः**, बिहार के **64-कदवा** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन, 2020 का परिणाम, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दिनांक 10 नवंबर, 2020 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसम्बर, 2020 थी; और

**यतः**, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार के पत्रांक. EXP-21/2020(खण्ड-64) कदवा-210, दिनांक 07.01.2021 के तहत उनसे प्राप्त **जिला निर्वाचन अधिकारी, कटिहार** की निर्वाचन व्ययों के लेखा दाखिल करने की बाबत रिपोर्ट दिनांक-12.12.2020 के अनुसार, **श्रीमती मीनू कुमारी**, जो बिहार के **64-कदवा** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2020 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के तहत, विधि के अंतर्गत यथा अपेक्षित निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

**यतः**, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए **श्रीमती मीनू कुमारी** को कारण बताओ नोटिस सं. 76/बिहार.वि. स/2020/64/सीईएमएस-III, दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था; और

**यतः**, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, **श्रीमती मीनू कुमारी** को लेखे दाखिल नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को लिखित में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, **कटिहार** को लेखा प्रस्तुत करने का भी निदेश दिया गया था;

**यतः**, जिला निर्वाचन अधिकारी, **कटिहार** ने अपने पत्र सं. 341/ निर्वा0 दिनांक 17.06.2022 से बताया है कि उक्त नोटिस अभ्यर्थी के द्वारा 09.05.2022 को तामील किया गया था; और

**यतः**, जिला निर्वाचन अधिकारी, **कटिहार** ने आगे अपनी अनुपूरक रिपोर्ट सं. 341/निर्वा0, दिनांक 17.06.2022 में यह कहा है कि **श्रीमती मीनू कुमारी** ने न तो कोई इस संबंध में स्पष्टीकरण दिया न ही निर्वाचन व्ययों के सही लेखे का कोई विवरण प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त नोटिस के प्राप्त होने के बाद **श्रीमती मीनू कुमारी** ने विधि के तहत

यथा निर्धारित लेखा दाखिल करने में असफल रहने के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्रीमती मीनू कुमारी, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार के 64-कदवा, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2020 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्रीमती मीनू कुमारी, निवासी मोफरगंज गदेरी टोला, कटिहार, जिला-कटिहार-854105 इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/बिहार-वि.स./2020/64/सी.ई.एम.एस.-III]

आदेश से,

बिनोद कुमार, सचिव

## ORDER

New Delhi, the 30th September, 2022

**O.N. 14.—WHEREAS**, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020.

**AND, WHEREAS**, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

**AND, WHEREAS**, the result of the said election along with **64-Kadwa** Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10<sup>th</sup> November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10<sup>th</sup> December, 2020;

**AND WHEREAS**, As per the letter of Chief Electoral Officer, Bihar dated 07.01.2021 vide letter no. Exp-21/2020(Vol.-64) **Kadwa** - 210, on the basis of scrutiny report submitted date- 12.12.2020 by the **District Election Officer, Katihar**, Bihar, **Smt. Minu Kumari**, a contesting candidate from **64- Kadwa** Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required by law under Rule 89 sub-rule (1).

**AND WHEREAS**, on the basis of the reports of **the District Election Officer, Katihar**, Bihar Show-Cause Notice no. 76/बिहार.वि. स/2020/64/सीईएमएस-III dated 25<sup>th</sup> June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Smt. Minu Kumari**, for not lodging the account of Election Expenses;

**AND WHEREAS**, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, **Smt. Minu Kumari** was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

**AND WHEREAS**, **District Election Officer, Katihar**, vide its letter no. 341/Nir. dated 17.06.2022 informed to the Commission that the said notice was received by the candidate on 09.05.2022;

**AND WHEREAS, the District Election Officer, Katihar,** in his Supplementary Report, vide its letter No. 341/Nir. Dated 17.06.2022 has reported that **Smt. Minu Kumari,** has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure;

**AND WHEREAS,** the Commission is satisfied that **Smt. Minu Kumari,** has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

**AND WHEREAS,** Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- i. has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and
- ii. has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order”;

NOW, **THEREFORE,** in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Smt. Minu Kumari,** resident of **Mofarganj Gaderi Tola, Katihar, Distt- Katihar- 854105** a contesting candidate from **64-Kadwa** Assembly Constituency during General Election to the Legislative Assembly of Bihar 2020, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/64/CEMS-III]

By Order,

BINOD KUMAR, Secy.

### आदेश

नई दिल्ली, 3 अक्टूबर, 2022

**आ.अ. 15.—यतः,** भारत निर्वाचन आयोग की दिनांक 25 सितम्बर, 2020 की प्रेस नोट सं. ईसीआई/पी0.एन0/64/2020 के अनुसरण में **150-बेलदौर** विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए बिहार विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2020 आयोजित किया गया था; और

**यतः,** लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी भी निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करवाएगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के तहत उसके या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

**यतः,** बिहार के **150-बेलदौर** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन, 2020 का परिणाम, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दिनांक 10 नवंबर, 2020 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसम्बर, 2020 थी; और

**यतः,** मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार के पत्रांक. EXP-21/2020(खण्ड-150) बेलदौर-36, दिनांक 04.01.2021 के तहत उनसे प्राप्त **जिला निर्वाचन अधिकारी, खगड़िया** की निर्वाचन व्ययों के लेखा दाखिल करने की बाबत रिपोर्ट दिनांक 21.12.2020 के अनुसार, **श्री सुरज कुमार,** जो बिहार के **150-बेलदौर** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2020 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के तहत, विधि के अंतर्गत यथा अपेक्षित निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

**यतः,** जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए **श्री सुरज कुमार** को कारण बताओ नोटिस सं. 76/बिहार.वि. स/2020/150सीईएमएस-III, दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था; और

**यतः,** उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, **श्री सुरज कुमार** को लेखे दाखिल नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को लिखित में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, **खगड़िया** को लेखा प्रस्तुत करने का भी निदेश दिया गया था; और

**यतः**, जिला निर्वाचन अधिकारी, **खगड़िया** ने अपने पत्र सं. 220, दिनांक 19/07/2021 से बताया है कि उक्त नोटिस श्री **सुरज कुमार** द्वारा 09/07/2021 को तामील किया गया था; और

**यतः**, जिला निर्वाचन अधिकारी, **खगड़िया** ने आगे अपनी अनुपूरक रिपोर्ट सं. 220, दिनांक 19/07/2021 में यह कहा है कि श्री **सुरज कुमार** ने न तो कोई इस संबंध में स्पष्टीकरण दिया न ही निर्वाचन व्ययों के सही लेखे का कोई विवरण प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त नोटिस के उत्तर में श्री **सुरज कुमार** ने विधि के तहत यथा निर्धारित लेखा दाखिल करने में असफल रहने के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

**यतः**, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”;

**यतः**, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री **सुरज कुमार**, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

**अतः**, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि **बिहार के 150-बेलदौर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2020** से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री **सुरज कुमार**, निवासी-ग्राम-नौरंगा (प.बोरनो), पो.-केशवनगर, थाना-चौथम, जिला-खगड़िया, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/बिहार-वि.स./2020/150/सी.ई.एम.एस.-III]

आदेश से,

बिनोद कुमार, सचिव

## ORDER

New Delhi, the 3rd October, 2022

**O.N. 15.—WHEREAS**, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020.

**AND, WHEREAS**, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

**AND, WHEREAS**, the result of the said election along with 150-Beladour Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10<sup>th</sup> November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10<sup>th</sup> December, 2020;

**AND WHEREAS**, As per the letter of Chief Electoral Officer, Bihar dated 04/01/2021, vide letter no. Exp-21/2020(Vol.-150)Beladour/36, on the basis of scrutiny report dt. 21.12.2020 submitted by the District Election Officer, **Khagaria**, Bihar, **Shri Suraj Kumar**, a contesting candidate from 150-Beladour Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required by law under Rule 89 sub-rule (1).

**AND WHEREAS**, on the basis of the reports of the District Election Officer, **Khagaria**, Bihar Show-Cause Notice no. 76/बिहार/वि.स./2020/150/सीईएमएस-III dated 25<sup>th</sup> June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Shri Suraj Kumar**, for not lodging the account of Election Expenses;

**AND WHEREAS,** As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, **Shri Suraj Kumar** was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

**AND WHEREAS, District Election Officer, Khagaria,** vide its letter no. 220. dated 19.07.2021 informed to the Commission that the said notice was received by her on 09.07.2021;

**AND WHEREAS, the District Election Officer, Khagaria,** in his Supplementary Report, vide its letter No. 220 Dated 19.07.2021 has reported that **Shri Suraj Kumar**, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses . Further, in the response of notice of the Election Commission of India, he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure;

**AND WHEREAS,** the Commission is satisfied that **Shri Suraj Kumar**, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

**AND WHEREAS,** Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- i. has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and
- ii. has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order”;

NOW, **THEREFORE,** in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Suraj Kumar**, resident of **Village-Norangaa(P.Borna),Post-Keshavpuram,Thana- Chotham District- Khagaria**, a contesting candidate from 150- Beladour Assembly Constituency during General Election to the Legislative Assembly of Bihar 2020, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/150/CEMS-III]

By Order,

BINOD KUMAR, Secy.

### आदेश

नई दिल्ली, 3 अक्टूबर, 2022

**आ.अ. 16.—यतः,** भारत निर्वाचन आयोग की दिनांक 25 सितम्बर, 2020 की प्रेस नोट सं. ईसीआई/पी0.एन0./64/2020 के अनुसरण में **146-बेगूसराय** विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए बिहार विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2020 आयोजित किया गया था; और

**यतः,** लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी भी निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करवाएगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के तहत उसके या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

**यतः,** बिहार के **146-बेगूसराय** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन, 2020 का परिणाम, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दिनांक 10 नवंबर, 2020 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसम्बर, 2020 थी; और

**यतः,** मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार के पत्रांक. EXP-21/2020(खण्ड-146)बेगूसराय-7740, दिनांक 21.12.2020 के तहत उनसे प्राप्त जिला निर्वाचन अधिकारी, बेगूसराय की निर्वाचन व्ययों के लेखा दाखिल करने की बाबत रिपोर्ट के दिनांक 12.12.2020 अनुसार, श्री नन्द कुमार साह, जो बिहार के 146-बेगूसराय विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2020 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के तहत, विधि के अंतर्गत यथा अपेक्षित निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

**यतः,** जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए **श्री नन्द कुमार साह** को कारण बताओ नोटिस सं. 76/बिहार.वि. स/2020/146सीईएमएस-III, दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, श्री नन्द कुमार साह को लेखे दाखिल नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को लिखित में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, बेगूसराय को लेखा प्रस्तुत करने का भी निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बेगूसराय ने अपने पत्र सं. 717/निर्वा० दिनांक 23 सितम्बर, 2021 से बताया है कि उक्त नोटिस उनके निर्वाचन अभिकर्ता श्री संतोष कुमार को 20 जुलाई, 2021 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बेगूसराय ने आगे अपनी अनुपूरक रिपोर्ट सं. 554/निर्वा०, दिनांक 26 अप्रैल, 2022 में यह कहा है कि श्री नन्द कुमार साह ने न तो कोई इस संबंध में स्पष्टीकरण दिया न ही निर्वाचन व्ययों के सही लेखे का कोई विवरण प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त नोटिस के प्राप्त होने के बाद श्री नन्द कुमार साह ने विधि के तहत यथा निर्धारित लेखा दाखिल करने में असफल रहने के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री नन्द कुमार साह, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार के 146-बेगूसराय विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2020 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री नन्द कुमार साह, निवासी-ग्राम-मोबारकपुर, पोस्ट-सरौंजा, थाना-वीरपुर, जिला-बेगूसराय इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/बिहार-वि.स./2020/146/सी.ई.एम.एस.-III]

आदेश से,

बिनोद कुमार, सचिव

## ORDER

New Delhi, the 3rd October, 2022

**O.N. 16.—WHEREAS**, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020.

**AND, WHEREAS**, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

**AND, WHEREAS**, the result of the said election along with 146-Begusarai Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10<sup>th</sup> November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10<sup>th</sup> December, 2020;

**AND WHEREAS**, As per the letter of Chief Electoral Officer, Bihar dated 21<sup>st</sup> December, 2020, vide letter no. Exp-21/2020(Vol.-146)Begusarai/7740, on the basis of scrutiny report submitted by the District Election Officer, Begusarai, Bihar, Shri Nand Kumar Sah, a contesting candidate from 146-Begusarai Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required by law under Rule 89 sub-rule (1).

**AND WHEREAS**, on the basis of the reports of the District Election Officer, Begusarai, Bihar Show-Cause Notice no. 76/बिहार.वि. स/2020/146/सीईएमएस-III dated 25<sup>th</sup> June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Shri Nand Kumar Sah, for not lodging the account of Election Expenses;

**AND WHEREAS,** As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, **Shri Nand Kumar Sah** was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

**AND WHEREAS, District Election Officer, Begusarai,** vide its letter No. 717/Nir. dated 23.09.2022 informed to the Commission that the said notice was delivered on 20.07.2022;

**AND WHEREAS, the District Election Officer, Begusarai,** in his Supplementary Report, vide its letter No. 554/Nir. Dated 26.04.2022 has reported that **Shri Nand Kumar Sah**, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses further, in response of notice of the Election Commission of India, he has neither furnished a reason nor explanation for the said failure;

**AND WHEREAS,** the Commission is satisfied that **Shri Nand Kumar Sah**, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

**AND WHEREAS,** Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- i. has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and
- ii. has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order”;

NOW, **THEREFORE,** in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Nand Kumar Sah**, resident of **Village-Mobarakpur, Post-Saronjha, Police Station-Veerpur, District-Begusarai**, a contesting candidate from 146- Begusarai Assembly Constituency during General Election to the Legislative Assembly of Bihar 2020, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/146/CEMS-III]

By Order,

BINOD KUMAR, Secy.

### आदेश

नई दिल्ली, 3 अक्टूबर, 2022

**आ.अ. 17.—यतः,** भारत निर्वाचन आयोग की दिनांक 25 सितम्बर, 2020 की प्रेस नोट सं. ईसीआई/पी0.एन0.64/2020 के अनुसरण में **146-बेगूसराय** विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए बिहार विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2020 आयोजित किया गया था; और

**यतः,** लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी भी निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करवाएगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के तहत उसके या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

**यतः,** बिहार के **146-बेगूसराय** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन, 2020 का परिणाम, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दिनांक 10 नवंबर, 2020 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसम्बर, 2020 थी; और

**यतः,** मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार के पत्रांक. EXP-21/2020(खण्ड-146)बेगूसराय-7740, दिनांक 21.12.2020 के तहत उनसे प्राप्त जिला निर्वाचन अधिकारी, बेगूसराय की निर्वाचन व्ययों के लेखा दाखिल करने की बाबत रिपोर्ट दिनांक 12.12.2020 के अनुसार, श्री मनोज कुमार सिंह, जो बिहार के 146-बेगूसराय विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2020 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के तहत, विधि के अंतर्गत यथा अपेक्षित निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

**यतः,** जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए **श्री मनोज कुमार सिंह** को कारण बताओ नोटिस सं. 76/बिहार.वि. स/2020/सीईएमएस-III, दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, श्री मनोज कुमार सिंह को लेखे दाखिल नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को लिखित में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, बेगूसराय को लेखा प्रस्तुत करने का भी निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बेगूसराय ने अपने पत्र सं. 21/ निर्वा0 दिनांक 06.01.2022 से बताया है कि उक्त नोटिस श्री रतन कुमार सिंह द्वारा 18 नवंबर, 2021 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बेगूसराय ने आगे अपनी अनुपूरक रिपोर्ट सं. 554/निर्वा0, दिनांक 26 अप्रैल, 2022 में यह कहा है कि श्री मनोज कुमार सिंह ने न तो कोई इस संबंध में स्पष्टीकरण दिया न ही निर्वाचन व्ययों के सही लेखे का कोई विवरण प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त नोटिस के प्राप्त होने के बाद श्री मनोज कुमार सिंह ने विधि के तहत यथा निर्धारित लेखा दाखिल करने में असफल रहने के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री मनोज कुमार सिंह, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार के 146-बेगूसराय विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2020 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री मनोज कुमार सिंह, निवासी-ग्राम-पनहाँस, पोस्ट-सुहदनगर, थाना-नगर, जिला-बेगूसराय, पिन-851218 इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/बिहार-वि.स./2020/146/सी.ई.एम.एस.-III]

आदेश से,

बिनोद कुमार, सचिव

## ORDER

New Delhi, the 3rd October, 2022

**O.N. 17.—WHEREAS**, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020.

**AND, WHEREAS**, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

**AND, WHEREAS**, the result of the said election along with 146-Begusarai Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10<sup>th</sup> November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10<sup>th</sup> December, 2020;

**AND WHEREAS**, As per the letter of Chief Electoral Officer, Bihar dated 21<sup>st</sup> December, 2020, vide letter no. Exp-21/2020(Vol.-146)Begusarai/7740, on the basis of scrutiny report submitted by the District Election Officer, Begusarai, Bihar, Shri Manoj Kumar Singh, a contesting candidate from 146-Begusarai Assembly Constituency of

Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required by law under Rule 89 sub-rule (1).

**AND WHEREAS**, on the basis of the reports of the **District Election Officer, Begusarai**, Bihar Show-Cause Notice no. 76/बिहार.वि. स/2020/सीईएमएस-III dated 25<sup>th</sup> June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Shri Manoj Kumar Singh**, for not lodging the account of Election Expenses;

**AND WHEREAS**, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, **Shri Manoj Kumar Singh** was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

**AND WHEREAS**, **District Election Officer, Begusarai**, vide its letter no. 21/Nir. dated 06.01.2022 informed to the Commission that the said notice was delivered on 19.07.2022;

**AND WHEREAS**, the **District Election Officer, Begusarai**, in his Supplementary Report, vide its letter No. 554/Nir. Dated 26.04.2022 has reported that **Shri Manoj Kumar Singh**, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses. Further, in the response of notice of the Election Commission of India, he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure;

**AND WHEREAS**, the Commission is satisfied that **Shri Manoj Kumar Singh**, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

**AND WHEREAS**, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- i. has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and
- ii. has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order”;

NOW, **THEREFORE**, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Manoj Kumar Singh**, resident of **Village-Panhaans, Post-Suhadnagar, Police Station- Nagar, District- Begusarai, Pin Code-851218**, a contesting candidate from 146-Begusarai Assembly Constituency during General Election to the Legislative Assembly of Bihar 2020, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/146/CEMS-III]

By Order,

BINOD KUMAR, Secy.

### आदेश

नई दिल्ली, 3 अक्टूबर, 2022

**आ.अ. 18.—यतः**, भारत निर्वाचन आयोग की दिनांक 25 सितम्बर, 2020 की प्रेस नोट सं. ईसीआई/पी0.एन0/64/2020 के अनुसरण में **146-बेगूसराय** विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए बिहार विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2020 आयोजित किया गया था; और

**यतः**, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी भी निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करवाएगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के तहत उसके या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

**यतः**, बिहार के **146-बेगूसराय** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन, 2020 का परिणाम, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दिनांक 10 नवंबर, 2020 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसम्बर, 2020 थी; और

**यतः**, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार के पत्रांक. EXP-21/2020(खण्ड-146)बेगूसराय-7740, दिनांक 21.12.2020 के तहत उनसे प्राप्त **जिला निर्वाचन अधिकारी, बेगूसराय** की निर्वाचन व्ययों के लेखा दाखिल करने की

बाबत रिपोर्ट के दिनांक 12.12.2020 अनुसार, श्री देव कांत सिंह, जो बिहार के 146-बेगूसराय विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2020 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के तहत, विधि के अंतर्गत यथा अपेक्षित निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री देव कांत सिंह को कारण बताओ नोटिस सं. 76/बिहार.वि. स/2020/सीईएमएस-III, दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, श्री देव कांत सिंह को लेखे दाखिल नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को लिखित में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, बेगूसराय को लेखा प्रस्तुत करने का भी निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बेगूसराय ने अपने पत्र सं. 716/ निर्वा0 दिनांक 23 सितम्बर, 2021 से बताया है कि उक्त नोटिस उनके निर्वाचन अभिकर्ता श्री संतोष कुमार को 19 जुलाई, 2021 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बेगूसराय ने आगे अपनी अनुपूरक रिपोर्ट सं. 554/निर्वा0, दिनांक 26 अप्रैल, 2022 में यह कहा है कि श्री देव कांत सिंह ने न तो कोई इस संबंध में स्पष्टीकरण दिया न ही निर्वाचन व्ययों के सही लेखे का कोई विवरण प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त नोटिस के प्राप्त होने के बाद श्री देव कांत सिंह ने विधि के तहत यथा निर्धारित लेखा दाखिल करने में असफल रहने के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री देव कांत सिंह, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार के 146-बेगूसराय विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2020 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री देव कांत सिंह, निवासी-ग्राम-कोरिया, पोस्ट-कोरिया हैवतपुर, थाना-मुफसिल, जिला-बेगूसराय इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/बिहार-वि.स./2020/146/सी.ई.एम.एस.-III]

आदेश से,

बिनोद कुमार, सचिव

## ORDER

New Delhi, the 3rd October, 2022

**O.N. 18.—WHEREAS**, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020.

**AND, WHEREAS**, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

**AND, WHEREAS**, the result of the said election along with 146-Begusarai Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10<sup>th</sup> November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10<sup>th</sup> December, 2020;

**AND WHEREAS,** As per the letter of Chief Electoral Officer, Bihar dated 21<sup>st</sup> December, 2020, vide letter no. Exp-21/2020(Vol.-146)Begusarai/7740, on the basis of scrutiny report dated 12-12-2020 submitted by the District Election Officer, **Begusarai**, Bihar, **Shri Dev Kant Singh**, a contesting candidate from **146-Begusarai** Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required by law under Rule 89 sub-rule (1).

**AND WHEREAS,** on the basis of the reports of the **District Election Officer, Begusarai**, Bihar Show-Cause Notice no. 76/बिहार.वि. स/2020/सीईएमएस-III dated 25<sup>th</sup> June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Shri Dev Kant Singh**, for not lodging the account of Election Expenses;

**AND WHEREAS,** As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, **Shri Dev Kant Singh** was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

**AND WHEREAS,** **District Election Officer, Begusarai**, vide its letter No. 716/Nir. dated 23.09.2022 informed to the Commission that the said notice was received by his election agent Shri Santosh Kumar on 19.07.2022;

**AND WHEREAS,** the **District Election Officer, Begusarai**, in his Supplementary Report, vide its letter No. 554/Nir. Dated 26.04.2022 has reported that **Shri Dev Kant Singh**, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, in response to notice of the Election Commission of India, he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure;

**AND WHEREAS,** the Commission is satisfied that **Shri Dev Kant Singh**, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

**AND WHEREAS,** Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- i. has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and
- ii. has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order”;

NOW, **THEREFORE**, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Dev Kant Singh**, resident of **Village-Koriya, Post-Koriya Havatpur, Police Station-Musphal, District-Begusarai**, a contesting candidate from 146-Begusarai Assembly Constituency during General Election to the Legislative Assembly of Bihar 2020, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/146/CEMS-III]

By Order,

BINOD KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 3 अक्टूबर, 2022

**आ.अ. 19.—यतः,** भारत निर्वाचन आयोग की दिनांक 25 सितम्बर, 2020 की प्रेस नोट सं. ईसीआई/पी0.एन0./64/2020 के अनुसरण में **146-बेगूसराय** विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए बिहार विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2020 आयोजित किया गया था; और

**यतः,** लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी भी निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करवाएगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के तहत उसके या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

**यतः**, बिहार के **146-बेगूसराय** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन, 2020 का परिणाम, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दिनांक 10 नवंबर, 2020 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसम्बर, 2020 थी; और

**यतः**, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार के पत्रांक. EXP-21/2020(खण्ड-146)बेगूसराय-7740, दिनांक 21.12.2020 के तहत उनसे प्राप्त **जिला निर्वाचन अधिकारी, बेगूसराय** की निर्वाचन व्ययों के लेखा दाखिल करने की बाबत रिपोर्ट दिनांक 12.12.2020 के अनुसार, **श्री अमरजीत साह**, जो बिहार के **146-बेगूसराय** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2020 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के तहत, विधि के अंतर्गत यथा अपेक्षित निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

**यतः**, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए **श्री अमरजीत साह** को कारण बताओ नोटिस सं. 76/बिहार.वि. स/2020/सीईएमएस-III, दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था; और

**यतः**, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, **श्री अमरजीत साह** को लेखे दाखिल नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को लिखित में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, **बेगूसराय** को लेखा प्रस्तुत करने का भी निदेश दिया गया था; और

**यतः**, जिला निर्वाचन अधिकारी, **बेगूसराय** ने अपने पत्र सं. 715/ निर्वा0 दिनांक 23 सितम्बर, 2021 से बताया है कि उक्त नोटिस अभ्यर्थी के भाई बिटू कुमार को 24 जुलाई, 2021 को तामील किया गया था; और

**यतः**, जिला निर्वाचन अधिकारी, **बेगूसराय** ने आगे अपनी अनुपूरक रिपोर्ट सं. 554/निर्वा0, दिनांक 26 अप्रैल, 2022 में यह कहा है कि **श्री अमरजीत साह** ने न तो कोई इस संबंध में स्पष्टीकरण दिया न ही निर्वाचन व्ययों के सही लेखे का कोई विवरण प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त नोटिस के प्राप्त होने के बाद **श्री अमरजीत साह** ने विधि के तहत यथा निर्धारित लेखा दाखिल करने में असफल रहने के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

**यतः**, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”;

**यतः**, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री अमरजीत साह**, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

**अतः**, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार के **146-बेगूसराय** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2020 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **श्री अमरजीत साह**, निवासी-ग्राम+पोस्ट-साँख, भाया-रजौड़ा, थाना-मुफसिल, जिला-बेगूसराय इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/बिहार-वि.स./2020/146/सी.ई.एम.एस.-III]

आदेश से,

बिनोद कुमार, सचिव

**ORDER**

New Delhi, the 3rd October, 2022

**O.N. 19.—WHEREAS**, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020.

**AND, WHEREAS**, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

**AND, WHEREAS**, the result of the said election along with 146-**Begusarai** Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10<sup>th</sup> November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10<sup>th</sup> December, 2020;

**AND WHEREAS**, As per the letter of Chief Electoral Officer, Bihar dated 21<sup>st</sup> December, 2020, vide letter no. Exp-21/2020(Vol.-146)Begusarai/7740, on the basis of scrutiny report dated 12-12-2020 submitted by the District Election Officer, **Begusarai**, Bihar, **Shri Amarjeet Sah**, a contesting candidate from **146-Begusarai** Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required by law under Rule 89 sub-rule (1).

**AND WHEREAS**, on the basis of the reports of the **District Election Officer, Begusarai**, Bihar Show-Cause Notice no. 76/बिहार.वि. स/2020/सीईएमएस-III dated 25<sup>th</sup> June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Shri Amarjeet Sah**, for not lodging the account of Election Expenses;

**AND WHEREAS**, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, **Shri Amarjeet Sah** was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

**AND WHEREAS**, **District Election Officer, Begusarai**, vide its letter no. 715/Nir. dated 23.09.2022 informed to the Commission that the said notice was received by his brother Bittu Kumar on 24.07.2022;

**AND WHEREAS**, the **District Election Officer, Begusarai**, in his Supplementary Report, vide its letter No. 554/Nir. Dated 26.04.2022 has reported that **Shri Amarjeet Sah**, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses Further, in response to notice of the Election Commission of India, he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure;

**AND WHEREAS**, the Commission is satisfied that **Shri Amarjeet Sah**, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

**AND WHEREAS**, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- i. has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and
- ii. has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order”;

NOW, **THEREFORE**, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Amarjeet Sah**, resident of **Village+Post- Saankh, Bhaya-Raajoda, Thana- Musphil, District- Begusarai**, a contesting candidate from 146- Begusarai Assembly Constituency during General Election to the Legislative Assembly of Bihar 2020, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/146/CEMS-III]

By Order,

BINOD KUMAR, Secy.

## आदेश

नई दिल्ली, 3 अक्टूबर, 2022

**आ.अ. 20.—यतः,** भारत निर्वाचन आयोग की दिनांक 25 सितम्बर, 2020 की प्रेस नोट सं. ईसीआई/पी0.एन0./64/2020 के अनुसरण में **127-राजापाकर(अ.जा.)** विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए बिहार विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2020 आयोजित किया गया था; और

**यतः,** लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी भी निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करवाएगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के तहत उसके या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

**यतः,** बिहार के **127-राजापाकर(अ.जा.)** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन, 2020 का परिणाम, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दिनांक 10 नवंबर, 2020 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसम्बर, 2020 थी; और

**यतः,** मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार के पत्रांक. EXP-21/2020(खण्ड-127)राजापाकर(अ.जा.)-22, दिनांक 04.01.2021 के तहत उनसे प्राप्त जिला निर्वाचन अधिकारी, वैशाली की निर्वाचन व्ययों के लेखा दाखिल करने की बाबत रिपोर्ट के दिनांक 16.12.20 अनुसार, श्रीमती सविता देवी, जो बिहार के 127-राजापाकर(अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2020 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के तहत, विधि के अंतर्गत यथा अपेक्षित निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

**यतः,** जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए **श्रीमती सविता देवी** को कारण बताओ नोटिस सं. 76/बिहार.वि. स/2020/सीईएमएस-III, दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था; और

**यतः,** उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, **श्रीमती सविता देवी** को लेखे दाखिल नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को लिखित में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, वैशाली को लेखा प्रस्तुत करने का भी निदेश दिया गया था; और

**यतः,** जिला निर्वाचन अधिकारी, वैशाली ने अपने पत्र सं. 814 दिनांक 29/11/2021 से बताया है कि उक्त नोटिस श्रीमती सविता देवी द्वारा 16/09/2021 को तामील किया गया था; और

**यतः,** जिला निर्वाचन अधिकारी, वैशाली ने आगे अपनी अनुपूरक रिपोर्ट सं. 814 दिनांक 29/11/2021 में यह कहा है कि **श्रीमती सविता देवी** ने न तो कोई इस संबंध में स्पष्टीकरण दिया न ही निर्वाचन व्ययों के सही लेखे का कोई विवरण प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त नोटिस के उत्तर में **श्रीमती सविता देवी** ने विधि के तहत यथा निर्धारित लेखा दाखिल करने में असफल रहने के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

**यतः,** लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”;

**यतः,** तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्रीमती सविता देवी**, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार के 127-राजापाकर(अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2020 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्रीमती सविता देवी, निवासी-ग्राम-नयागाँव,पो.-नयागंज,थाना-देसरी,जिला-वैशाली,पिन-844506,इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/बिहार-वि.स./2020/127/सी.ई.एम.एस.-III]

आदेश से,

बिनोद कुमार, सचिव

## ORDER

New Delhi, the 3rd October, 2022

**O.N. 20.—WHEREAS**, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020.

**AND, WHEREAS**, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

**AND, WHEREAS**, the result of the said election along with 127-Rajapakar(SC) Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10<sup>th</sup> November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10<sup>th</sup> December, 2020;

**AND WHEREAS**, As per the letter of Chief Electoral Officer, Bihar dated 04/01/2021, vide letter no. Exp-21/2020 (Vol.-127) Rajapakar (SC)/22, on the basis of scrutiny report dated 16-12-2020 submitted by the District Election Officer, Vaishalli, Bihar, **Smt. Savita Devi**, a contesting candidate from 127-Rajapakar(SC) Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required by law under Rule 89 sub-rule (1).

**AND WHEREAS**, on the basis of the reports of the District Election Officer, Vaishalli, Bihar Show-Cause Notice no. 76/बिहार.वि. स/2020/सीईएमएस-III dated 25<sup>th</sup> June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Smt. Savita Devi**, for not lodging the account of Election Expenses;

**AND WHEREAS**, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, **Smt. Savita Devi** was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

**AND WHEREAS**, District Election Officer, Vaishalli, vide its letter no. 814. dated 29.11.2021 informed to the Commission that the said notice was received by her on 16.09.2021;

**AND WHEREAS**, the District Election Officer, Vaishalli, in his Supplementary Report, vide its letter No. 814 Dated 29.11.2021 has reported that **Smt. Savita Devi**, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure;

**AND WHEREAS**, the Commission is satisfied that **Smt. Savita Devi**, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

**AND WHEREAS**, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- i. has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and
- ii. has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order”;

NOW, **THEREFORE**, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Smt. Savita Devi**, resident of **Village-Nayagaav, Post-Nayaganj, Thana-Desri, District-Vaishalli, Pin-844506**, a contesting candidate from 127-Rajapakar(SC) Assembly Constituency during General Election to the Legislative Assembly of Bihar 2020, to be disqualified for being chosen

as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/127/CEMS-III]

By Order,

BINOD KUMAR, Secy.

### आदेश

नई दिल्ली, 3 अक्टूबर, 2022

**आ.अ. 21.—यतः**, भारत निर्वाचन आयोग की दिनांक 25 सितम्बर, 2020 की प्रेस नोट सं. ईसीआई/पी0.एन0/64/2020 के अनुसरण में **209—करगहर** विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए बिहार विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2020 आयोजित किया गया था; और

**यतः**, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी भी निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करवाएगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के तहत उसके या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

**यतः**, बिहार के **209—करगहर** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन, 2020 का परिणाम, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दिनांक 10 नवंबर, 2020 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसम्बर, 2020 थी; और

**यतः**, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार के पत्रांक. EXP-21/2020(खण्ड-209) करगहर -7808, दिनांक 23.12.2020 के तहत उनसे प्राप्त **जिला निर्वाचन अधिकारी, रोहतास** की निर्वाचन व्ययों के लेखा दाखिल करने की बाबत रिपोर्ट दिनांक 16.12.2020 के अनुसार, **श्री रवि पटेल**, जो बिहार के **209—करगहर** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2020 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के तहत, विधि के अंतर्गत यथा अपेक्षित निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

**यतः**, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए **श्री रवि पटेल** को कारण बताओ नोटिस सं. 76/बिहार.वि. स/2020/209/सीईएमएस-III, दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था; और

**यतः**, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, **श्री रवि पटेल** को लेखे दाखिल नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को लिखित में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, **रोहतास** को लेखा प्रस्तुत करने का भी निदेश दिया गया था; और

**यतः**, जिला निर्वाचन अधिकारी, **रोहतास** ने अपने पत्र सं. 535/ निर्वा0 दिनांक 14.05.2022 से बताया है कि उक्त नोटिस **श्री रवि पटेल** को दिनांक **22.07.2021** को तामील किया गया था; और

**यतः**, जिला निर्वाचन अधिकारी, **रोहतास** ने आगे अपनी अनुपूरक रिपोर्ट सं. 535/निर्वा0, दिनांक 14.05.2022 में यह कहा है कि **श्री रवि पटेल** ने न तो कोई इस संबंध में स्पष्टीकरण दिया न ही निर्वाचन व्ययों के सही लेखे का कोई विवरण प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त नोटिस के उत्तर में **श्री रवि पटेल** ने विधि के तहत यथा निर्धारित लेखा दाखिल करने में असफल रहने के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

**यतः**, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।";

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री रवि पटेल, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार के 209-करगहर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2020 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री रवि पटेल, निवासी-ग्राम-रसलपुर(कमरहरी), पोस्ट+थाना-मोहनिया, जिला-कैमूर(भभूआ), इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/बिहार-वि.स./2020/209/सी.ई.एम.एस.-III]

आदेश से,

बिनोद कुमार, सचिव

### ORDER

New Delhi, the 3rd October, 2022

**O.N. 21.—WHEREAS**, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020.

**AND, WHEREAS**, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

**AND, WHEREAS**, the result of the said election along with 209-Kargahar Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10<sup>th</sup> December, 2020;

**AND WHEREAS**, As per the letter of Chief Electoral Officer, Bihar dated 23<sup>rd</sup> December, 2020, vide letter no. Exp-21/2020(Vol.-209)Kargahar/7808, on the basis of scrutiny report dt. 16.12.2020 submitted by the District Election Officer, Rohtas, Bihar, **Shri Ravi Patel**, a contesting candidate from 209-Kargahar Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required by law under Rule 89 sub-rule (1).

**AND WHEREAS**, on the basis of the reports of the District Election Officer, Rohtas, Bihar Show-Cause Notice no. 76/बिहार/वि.स/2020/209/सीईएमएस-III dated 25<sup>th</sup> June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Shri Ravi Patel**, for not lodging the account of Election Expenses;

**AND WHEREAS**, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, **Shri Ravi Patel** was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

**AND WHEREAS**, District Election Officer, Rohtas, vide its letter no. 535/Nir. Dated 14.05.2022 informed to the Commission that the said notice was received by Shri Ravi Patel on 22.07.2021;

**AND WHEREAS**, the District Election Officer, Rohtas, in his Supplementary Report, vide its letter No. 535/Nir. Dated 14.05.2022 has reported that **Shri Ravi Patel**, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses. Further, in the response of notice of the Election Commission of India, he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure;

**AND WHEREAS**, the Commission is satisfied that **Shri Ravi Patel**, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

**AND WHEREAS**, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

- i. has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

ii. has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order”;

NOW, **THEREFORE**, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Ravi Patel**, resident **Village-Rasalpur (Kamrhari), Post+Police Station-Mohaniya, District-Kaamour (Babuva)**, a contesting candidate from **209-Kargahar** Assembly Constituency during General Election to the Legislative Assembly of Bihar 2020, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/209/CEMS-III]

By Order,

BINOD KUMAR, Secy.

### आदेश

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2022

**आ.अ. 22.—यतः**, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

**और यतः** लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेख की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

**और यतः 36-मधुबनी** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसम्बर, 2020 थी;

**और यतः**, जिला निर्वाचन अधिकारी, **मधुबनी**, बिहार के पत्र सं. 63 दिनांक 18 दिसंबर, 2020 द्वारा प्रस्तुत और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार द्वारा पत्र सं.व्यय-21/2020(खंड-36) मधुबनी -7799 के जरिए अग्रेषित दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार **श्री दिनेश मंडल**, जो बिहार विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2020 के निर्वाचन क्षेत्र **36-मधुबनी** से लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

**और यतः**, जिला निर्वाचन अधिकारी, **मधुबनी**, बिहार, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए **श्री दिनेश मंडल**, को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

**और यतः**, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए **श्री दिनेश मंडल**, को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

**और यतः**, उक्त नोटिस अभ्यर्थी द्वारा दिये गये पते पर अभ्यर्थी के द्वारा दिनांक 11.09.2022 को प्राप्त किया गया था। पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, **मधुबनी** द्वारा अपने दिनांक 22 नवंबर, 2022 के पत्र संख्या 1495/निर्वा0, के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

**और यतः**, जिला निर्वाचन अधिकारी, मधुबनी द्वारा दिनांक 22 नवंबर, 2022 के पत्र संख्या 1495/निर्वा0, के जरिए प्रस्तुत की गई संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि **श्री दिनेश मंडल**, ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री दिनेश मंडल, निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

- i. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- ii. उस असफलता के लिए कोई उचित कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के **36-मधुबनी** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री दिनेश मंडल, निवासी गांव- भिट्टो डाकघर सरिसापाही, थाना- पनडौल, जिला- मधुबनी-847424 इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार-वि.स./2020/36/सी.ई.एम.एस.-III]

आदेश से,

बिनोद कुमार, सचिव

#### ORDER

New Delhi, the 13th December, 2022

**O.N. 22.—WHEREAS**, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

**AND, WHEREAS**, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

**AND, WHEREAS**, the result of the said election along with **36- Madhubani** Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10<sup>th</sup> November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10<sup>th</sup> December, 2020;

**AND WHEREAS**, as per the report dated 18<sup>th</sup> December, 2020, vide letter no. 63 submitted by the District Election Officer, **Madhubani**, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.-36) Madhubani-7799, dated 23 December, 2020, **Sh. Dinesh Mandal** a contesting candidate of Bihar from **36- Madhubani** Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

**AND WHEREAS**, on the basis of the reports of **the District Election Officer, Madhubani**, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25<sup>th</sup> June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Dinesh Mandal** for not lodging the account of Election Expenses;

**AND WHEREAS**, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25<sup>th</sup> June, 2021, **Sh. Dinesh Mandal** was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

**AND WHEREAS**, the said notice was received by the candidate on 11<sup>th</sup> September, 2022 at the address given by candidate The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, **Madhubani**, vide its letter no.1495/District.Nirva, dated 22 November, 2022;

**AND WHEREAS**, **the District Election Officer, Madhubani**, in his Supplementary Report, vide its letter No.1495/Nirva., dated 22 November, 2022 has reported that **Sh. Dinesh Mandal** has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

**AND WHEREAS**, the Commission is satisfied that **Sh. Dinesh Mandal** has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

**AND WHEREAS**, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- i. has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and
- ii. has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order”;

NOW, **THEREFORE**, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Dinesh Mandal** resident of **Vill- Bhitto, Post-Sarisawpahi, PS-Pandaoul, Dist-Madhubani-847424** a contesting candidate from **36-Madhubani**, Assembly Constituency of the State of Bihar in the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/36/CEMS-III]

By Order,

BINOD KUMAR, Secy.

### आदेश

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2022

**आ.अ. 23.—यतः**, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

**और यतः** लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

**और यतः 36-मधुबनी** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसम्बर, 2020 थी;

**और यतः**, जिला निर्वाचन अधिकारी, **मधुबनी**, बिहार के पत्र सं. 63 दिनांक 18 दिसंबर, 2020 द्वारा प्रस्तुत और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार द्वारा पत्र सं.व्यय-21/2020(खंड-36) मधुबनी -7799 के जरिए अग्रेषित दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार **श्रीमती अनीता कुमारी उर्फ अनिता झा**, जो बिहार विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2020 के निर्वाचन क्षेत्र **36-मधुबनी** से लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

**और यतः**, जिला निर्वाचन अधिकारी, **मधुबनी**, बिहार, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए **श्रीमती अनीता कुमारी उर्फ अनिता झा**, को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

**और यतः**, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए **श्रीमती अनीता कुमारी उर्फ अनिता झा**, को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

**और यतः**, उक्त नोटिस अभ्यर्थी द्वारा दिये गये पते पर अभ्यर्थी के द्वारा दिनांक 14.10.2022 को प्राप्त किया गया था। पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, **मधुबनी** द्वारा अपने दिनांक 22 नवंबर, 2022 के पत्र संख्या 1495/निर्वा0, के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

**और यतः**, जिला निर्वाचन अधिकारी, मधुबनी द्वारा दिनांक 22 नवंबर, 2022 के पत्र संख्या 1495/निर्वा0, के जरिए प्रस्तुत की गई संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्रीमती अनीता कुमारी उर्फ अनिता झा, ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

**और यतः**, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्रीमती अनीता कुमारी उर्फ अनिता झा, निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

**और यतः**, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

- (i) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- (ii) उस असफलता के लिए कोई उचित कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

**अतः**, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के **36-मधुबनी** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्रीमती अनीता कुमारी उर्फ अनिता झा, निवासी जलधारी चौक, वार्ड नं०-29, हॉस्पिटल रोड, थाना+जिला-मधुबनी-847211 इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार-वि.स./2020/36/सी.ई.एम.एस.-III]

आदेश से,

बिनोद कुमार, सचिव

## ORDER

New Delhi, the 13th December, 2022

**O.N. 23.—WHEREAS**, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

**AND, WHEREAS**, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

**AND, WHEREAS**, the result of the said election along with **36- Madhubani** Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10<sup>th</sup> November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10<sup>th</sup> December, 2020;

**AND WHEREAS**, as per the report dated 18<sup>th</sup> December, 2020, vide letter no. 63 submitted by the District Election Officer, **Madhubani**, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.-36) Madhubani-7799, dated 23 December, 2020, **Smt. Anita Kumari Alias Anita Jha** a contesting candidate of Bihar from **36-Madhubani** Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

**AND WHEREAS**, on the basis of the reports of **the District Election Officer, Madhubani**, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25<sup>th</sup> June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Smt. Anita Kumari Alias Anita Jha** for not lodging the account of Election Expenses;

**AND WHEREAS**, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25<sup>th</sup> June, 2021, **Smt. Anita Kumari Alias Anita Jha** was directed to submit

his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

**AND WHEREAS**, the said notice was received by the candidate on 14<sup>th</sup> October, 2022, at the address given by candidate The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, **Madhubani**, vide its letter no.1495/District.Nirva, dated 22 November, 2022;

**AND WHEREAS**, the **District Election Officer, Madhubani**, in his Supplementary Report, vide its letter No.1495/Nirva., dated 22 November, 2022 has reported that **Smt. Anita Kumari Alias Anita Jha** has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

**AND WHEREAS**, the Commission is satisfied that **Smt. Anita Kumari Alias Anita Jha** has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

**AND WHEREAS**, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- i. has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and
- ii. has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order”;

NOW, **THEREFORE**, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Smt. Anita Kumari Alias Anita Jha** resident of **Jaldhari Chowk, Ward No. 29, Hospital Road, Post+Dist- Madhubani-847234** a contesting candidate from **36-Madhubani**, Assembly Constituency of the State of Bihar in the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/36/CEMS-III]

By Order,

BINOD KUMAR, Secy.

### आदेश

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2022

**आ.अ. 24.—यतः**, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

**और यतः** लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

**और यतः 171—अस्थावाँ** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसम्बर, 2020 थी;

**और यतः**, जिला निर्वाचन अधिकारी, **नालन्दा**, बिहार के पत्र सं. 467 दिनांक 19 दिसंबर, 2020 द्वारा प्रस्तुत और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार द्वारा पत्र सं.व्यय-21/2020(खंड-171)**अस्थावाँ-111** के जरिए अग्रेषित दिनांक 5 जनवरी, 2021 की रिपोर्ट के अनुसार **श्री सुशील प्रसाद**, जो बिहार विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 के **171—अस्थावाँ** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

**और यतः**, जिला निर्वाचन अधिकारी, नालन्दा, बिहार, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री सुशील प्रसाद, को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

**और यतः**, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री सुशील प्रसाद, को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

**और यतः**, उक्त नोटिस अभ्यर्थी द्वारा दिये गये पते पर अभ्यर्थी के भाई राजिव कुमार द्वारा दिनांक 09.07.2021 को प्राप्त किया गया था। प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, नालन्दा द्वारा अपने दिनांक 31 जुलाई, 2021 के पत्र संख्या 103/निर्वा0, के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

**और यतः**, जिला निर्वाचन अधिकारी, नालन्दा द्वारा दिनांक 25 अगस्त, 2021 के पत्र संख्या 115/निर्वा0, के जरिए प्रस्तुत की गई संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री सुशील प्रसाद, ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

**और यतः**, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री सुशील प्रसाद, निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

**और यतः**, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

- (i) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- (ii) उस असफलता के लिए कोई उचित कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

**अतः**, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के 171-अस्थावाँ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री सुशील प्रसाद, मोहल्ला- साईचक, पोस्ट+थाना-बेउर, जिला- पटना, पिन-800002 इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार-वि.स./2020/171/सी.ई.एम.एस.-III]

आदेश से,

बिनोद कुमार, सचिव

## ORDER

New Delhi, the 13th December, 2022

**O.N. 24.—WHEREAS**, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

**AND, WHEREAS**, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

**AND, WHEREAS**, the result of the said election along with 171-Asthwa Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10<sup>th</sup> November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10<sup>th</sup> December, 2020;

**AND WHEREAS**, as per the report dated **19<sup>th</sup> December, 2020**, vide letter no. 467 submitted by the District Election Officer, **Nalanda**, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.- 171)**Asthwa** - 111, dated 05 January, 2021, **Sh. Sushil Prasad**, a contesting candidate of Bihar from **171- Asthwa** Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

**AND WHEREAS**, on the basis of the reports of **the District Election Officer, Nalanda**, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25<sup>th</sup> June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Sushil Prasad**, for not lodging the account of Election Expenses;

**AND WHEREAS**, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25<sup>th</sup> June, 2021, **Sh. Sushil Prasad**, was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

**AND WHEREAS**, the said notice was received by the candidate's brother Rajiv Kumar on 09<sup>th</sup> July, 2021, at the address given by candidate. The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, **Nalanda**, vide its letter no.103/Nirv., dated 31 July, 2021;

**AND WHEREAS**, the **District Election Officer, Nalanda**, in his Supplementary Report, vide its letter No.115/Nirva., dated 25 August, 2021 has reported that **Sh. Sushil Prasad**, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

**AND WHEREAS**, the Commission is satisfied that **Sh. Sushil Prasad**, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

**AND WHEREAS**, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- i. has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and
- ii. has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order”;

NOW, **THEREFORE**, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Sushil Prasad**, resident of **Mohalla- Saichak, Post+Thana- Beuar, Dist- Patna, Pin- 800002** a contesting candidate from **171- Asthwa**, Assembly Constituency of the State of Bihar in the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/171/CEMS-III]

By Order,

BINOD KUMAR, Secy.

### आदेश

नई दिल्ली, 14 दिसम्बर, 2022

**आ.अ. 25.—यतः**, भारत निर्वाचन आयोग की दिनांक 25 सितम्बर, 2020 की प्रेस नोट सं. ईसीआई/पी0.एन0./64/2020 के अनुसरण में **173-राजगीर** विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए बिहार विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2020 आयोजित किया गया था; और

**यतः**, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी भी निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करवाएगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के तहत उसके या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, बिहार के 173-राजगीर(अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन, 2020 का परिणाम, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दिनांक 10 नवंबर, 2020 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसम्बर, 2020 थी; और

यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार के पत्रांक. EXP-21/2020(खण्ड-173)राजगीर(अ.जा.)-117, दिनांक 05.01.2021 के तहत उनसे प्राप्त जिला निर्वाचन अधिकारी, नालंदा की निर्वाचन व्ययों के लेखा दाखिल करने की बाबत रिपोर्ट के अनुसार, श्री पप्पू पासवान, जो बिहार के 173-राजगीर(अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2020 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के तहत, विधि के अंतर्गत यथा अपेक्षित निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री पप्पू पासवान को कारण बताओ नोटिस सं. 76/बिहार.वि. स/2020/सीईएमएस-III, दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, श्री पप्पू पासवान को लेखे दाखिल नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को लिखित में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, नालंदा को लेखा प्रस्तुत करने का भी निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, नालंदा ने अपने पत्र सं. 103/मु. दिनांक 31/07/2021 से बताया है कि उक्त नोटिस अभ्यर्थी की पत्नी विद्या देवी द्वारा 25/07/2021 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, नालंदा ने आगे अपनी अनुपूरक रिपोर्ट सं. 103/मु. दिनांक 31/07/2021 में यह कहा है कि श्री पप्पू पासवान ने न तो कोई इस संबंध में स्पष्टीकरण दिया न ही निर्वाचन व्ययों के सही लेखे का कोई विवरण प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त नोटिस के प्राप्त होने के बाद श्री पप्पू पासवान ने विधि के तहत यथा निर्धारित लेखा दाखिल करने में असफल रहने के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

- (i) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- (ii) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री सुरज कुमार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार के 173-राजगीर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2020 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री पप्पू पासवान, निवासी-ग्राम-नोना, पो.+थाना-नालंदा, जिला-नालंदा, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/बिहार-वि.स./2020/173/सी.ई.एम.एस.-III]

आदेश से,

बिनोद कुमार, सचिव

**ORDER**

New Delhi, the 14th December, 2022

**O.N. 25.—WHEREAS**, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020.

**AND, WHEREAS**, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

**AND, WHEREAS**, the result of the said election along with 173-**Rajgir(SC)** Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10<sup>th</sup> November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10<sup>th</sup> December, 2020;

**AND WHEREAS**, As per the letter of Chief Electoral Officer, Bihar dated 05/01/2021, vide letter no. Exp-21/2020(Vol.-173)Rajgir(SC)/117 on the basis of scrutiny report submitted by the District Election Officer, **Nalanda**, Bihar, **Shri Papu Paswan**, a contesting candidate from **173-Rajgir(SC)** Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required by law under Rule 89 sub-rule (1).

**AND WHEREAS**, on the basis of the reports of **the District Election Officer, Nalanda**, Bihar Show-Cause Notice no. 76/बिहार.वि. स/2020/सीईएमएस-III dated 25<sup>th</sup> June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Shri Papu Paswan**, for not lodging the account of Election Expenses;

**AND WHEREAS**, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, **Shri Papu Paswan** was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

**AND WHEREAS**, **District Election Officer, Nalanda**, vide its letter no. 103/M. dated 31.07.2021 informed to the Commission that the said notice was received by his wife Vidya Devi on 25.07.2021;

**AND WHEREAS**, **the District Election Officer, Nalanda**, in his Supplementary Report, vide its letter No. 103/M. Dated 31.07.2021 has reported that **Shri Papu Paswan**, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure;

**AND WHEREAS**, the Commission is satisfied that **Shri Papu Paswan**, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

**AND WHEREAS**, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- i. has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and
- ii. has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order”;

NOW, **THEREFORE**, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Papu Paswan**, resident of **Village-Nona, Post+Thana-Nalanda, District-Nalanda**, a contesting candidate from 173-Rajgir(SC) Assembly Constituency during General Election to the Legislative Assembly of Bihar 2020, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/173/CEMS-III]

By Order,

BINOD KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 2023

**आ.अ. 26.—यतः**, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के द्वारा की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

**और यतः**, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

**और यतः**, 213- काराकाट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किए गए थे, इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसंबर, 2020 थी;

**और यतः**, जिला निर्वाचन अधिकारी, रोहतास के पत्र सं. 2293 दिनांक 16 दिसंबर, 2020 द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार, द्वारा पत्र सं. EXP.-21/2020(खंड-213) काराकाट/7807 के जरिए अग्रेषित दिनांक 23 दिसंबर, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार श्री बबन सिंह, जो बिहार के 213- काराकाट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

**और यतः**, जिला निर्वाचन अधिकारी, रोहतास और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार, की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री बबन सिंह को कारण बताओ नोटिस सं. 76/बिहार/वि.सं. 2020/213/सी.ई.एम.एस.-III/2020 दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

**और यतः**, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री बबन सिंह को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

**और यतः**, जिला निर्वाचन अधिकारी, रोहतास द्वारा अपने दिनांक 01/12/2022 के पत्र संख्या 1691/निर्वाचन के जरिए आयोग को प्रस्तुत सूचना के अनुसार उक्त नोटिस श्री बबन सिंह द्वारा 22 अगस्त, 2021 को प्राप्त किया गया था;

**और यतः**, जिला निर्वाचन अधिकारी, रोहतास द्वारा अपने दिनांक 01/12/2022 के पत्र संख्या 1691/निर्वाचन के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री बबन सिंह ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

**और यतः**, आयोग को यह समाधान हो गया है कि श्री बबन सिंह निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

**और यतः**, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग को यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई उचित कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

**अतः**, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के 213- काराकाट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री बबन सिंह, निवासी-ग्राम+पोस्ट- औसाँव, थाना-कच्छवाँ, जिला-रोहतास, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार/वि.सं./2020/213/सी.ई.एम.एस.-III]

आदेश से,

बिनोद कुमार, सचिव

**ORDER**

New Delhi, the 3rd January, 2023

**O.N. 26.—WHEREAS**, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

**AND, WHEREAS**, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

**AND, WHEREAS**, the result of the said election along with 213-Karakat Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10<sup>th</sup> November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10<sup>th</sup> December, 2020;

**AND WHEREAS**, As per the report dated 16<sup>th</sup> December, 2020, vide letter no.2293 submitted by the District Election Officer, Rohtas, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.-213)Karakat/7807, dated 23<sup>rd</sup> December, 2020, **Shri Baban Singh**, a contesting candidate from 213-Karakat Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

**AND WHEREAS**, on the basis of the reports of the District Election Officer, Rohtas, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25<sup>th</sup> June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Shri Baban Singh**, for not lodging the account of Election Expenses;

**AND WHEREAS**, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25<sup>th</sup> June, 2021, **Shri Baban Singh** was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

**AND WHEREAS**, the said notice was received by him on 22<sup>nd</sup> August, 2021, at the address given by **Shri Baban Singh**. The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Rohtas, vide its letter no. 1691/Nirvachan dated 01<sup>st</sup> December, 2022;

**AND WHEREAS**, the District Election Officer, Rohtas, in his Supplementary Report, vide its letter No. 1691/Nirvachan dated 01<sup>st</sup> December, 2022 has reported that **Shri Baban Singh**, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

**AND WHEREAS**, the Commission is satisfied that **Shri Baban Singh**, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

**AND WHEREAS**, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- i. has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and
- ii. has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order”;

NOW, **THEREFORE**, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Baban Singh**, resident of **Village+Post – Ausaw, Thana-Kachwa, District- Rohtas**, a contesting candidate from 213- Karakat Assembly Constituency in General Election to the Legislative Assembly of Bihar 2020, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/213/CEMS-III]

By Order,

BINOD KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 2023

**आ.अ. 27.—यतः**, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के द्वारा की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

**और यतः**, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

**और यतः**, 211-नोखा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसंबर, 2020 थी;

**और यतः**, जिला निर्वाचन अधिकारी, रोहतास के पत्र सं. 2293 दिनांक 16 दिसंबर, 2020 द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार, द्वारा पत्र सं. EXP.-21/2020(खंड-211)नोखा/7807 के जरिए अग्रेषित दिनांक 23 दिसंबर, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार श्री शशि कांत गुप्ता, जो बिहार के 211- नोखा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

**और यतः**, जिला निर्वाचन अधिकारी, रोहतास और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार, की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम 5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री शशि कांत गुप्ता को कारण बताओ नोटिस सं/76.बिहार/वि.सं/211/सी.ई.एम.एस.-III/ 2020 दिनांक 25 जून, 2021 को जारी किया गया था;

**और यतः**, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम 6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री शशि कांत गुप्ता को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

**और यतः**, जिला निर्वाचन अधिकारी, रोहतास द्वारा अपने दिनांक 01/12/2022 के पत्र संख्या 1689/निर्वाचन के जरिए आयोग को दी गई सूचना के अनुसार उक्त नोटिस श्री धनंजय कुमार द्वारा 31 जुलाई, 2021 को प्राप्त किया गया था;

**और यतः**, जिला निर्वाचन अधिकारी, रोहतास द्वारा अपने दिनांक 01/12/2022 के पत्र संख्या 1689/निर्वाचन के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री शशि कांत गुप्ता ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

**और यतः**, आयोग को यह समाधान हो गया है कि श्री शशि कांत गुप्ता निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

**और यतः**, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग को यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

- (क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- (ख) उस असफलता के लिए कोई उचित कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

**अतः**, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के 211 -नोखा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री शशि कांत गुप्ता, निवासी-दुधमी डिहरी, पोस्ट-हुरका, थाना-तिलौथु, जिला-रोहतास, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार/वि.सं/211/सी.ई.एम.एस.-III/2020]

आदेश से,

बिनोद कुमार, सचिव

**ORDER**

New Delhi, the 3rd January, 2023

**O.N. 27.—WHEREAS**, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

**AND, WHEREAS**, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

**AND, WHEREAS**, the result of the said election along with 211-Nokha Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10<sup>th</sup> November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10<sup>th</sup> December, 2020;

**AND WHEREAS**, As per the report dated 16<sup>th</sup> December, 2020, vide letter no.2293 submitted by the District Election Officer, **Rohtas**, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020 (Vol.-211)Nokha/7810, dated 23<sup>rd</sup> December, 2020, **Shri Shashi Kant Gupta**, a contesting candidate from **211-Nokha** Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

**AND WHEREAS**, on the basis of the reports of **the District Election Officer, Rohtas**, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25<sup>th</sup> June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Shri Shashi Kant Gupta**, for not lodging the account of Election Expenses;

**AND WHEREAS**, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25<sup>th</sup> June, 2021, **Shri Shashi Kant Gupta** was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

**AND WHEREAS**, the said notice was received by Shri Dhananjay Kumar on 31<sup>st</sup> July, 2021, at the address given by **Shri Shashi Kant Gupta**, The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, **Rohtas**, vide its letter no. 1689/Nirvachan dated 01<sup>st</sup> December, 2022;

**AND WHEREAS**, **the District Election Officer, Rohtas**, in his Supplementary Report, vide its letter No. 1689/Nirvachan dated 01<sup>st</sup> December, 2022 has reported that **Shri Shashi Kant Gupta**, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

**AND WHEREAS**, the Commission is satisfied that **Shri Shashi Kant Gupta**, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

**AND WHEREAS**, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- i. has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and
- ii. has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order”;

NOW, **THEREFORE**, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Shashi Kant Gupta**, resident of **Dudhmi Dihari, Post-Hurkaa, Thana-Tillothu, District-Rohtas**, a contesting candidate from 211-Nokha Assembly Constituency in General Election to the Legislative Assembly of Bihar 2020, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/211/CEMS-III]

By Order,

BINOD KUMAR, Secy.

## आदेश

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 2023

**आ.अ. 28.—यतः**, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

**और यतः** लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेख की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

**और यतः 111-गोरेयाकोठी** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसम्बर, 2020 थी;

**और यतः**, जिला निर्वाचन अधिकारी, **सिवान**, बिहार के पत्र सं. 271 दिनांक 24 दिसंबर, 2020 द्वारा प्रस्तुत और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार द्वारा पत्र सं.व्यय-21/2020(खंड-111) गोरेयाकोठी -162 के जरिए अग्रेषित दिनांक 06 जनवरी, 2021 की रिपोर्ट के अनुसार **श्री संजय सिंह**, जो बिहार विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2020 के निर्वाचन क्षेत्र **111-गोरेयाकोठी** से लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

**और यतः**, जिला निर्वाचन अधिकारी, **सिवान**, बिहार, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए **श्री संजय सिंह**, को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

**और यतः**, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए **श्री संजय सिंह**, को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

**और यतः**, उक्त नोटिस अभ्यर्थी द्वारा दिये गये पते पर अभ्यर्थी के द्वारा दिनांक 19.07.2021 को प्राप्त किया गया था। पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, **सिवान** द्वारा अपने दिनांक 08 दिसम्बर, 2022 के पत्र संख्या 166-I/निर्वा0, के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

**और यतः**, जिला निर्वाचन अधिकारी, **सिवान**, द्वारा दिनांक 08 दिसम्बर, 2022 के पत्र संख्या 166-I /निर्वा0, के जरिए प्रस्तुत की गई संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि **श्री संजय सिंह**, ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

**और यतः**, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री संजय सिंह**, निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

**और यतः**, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

- निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- उस असफलता के लिए कोई उचित कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

**अतः**, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के **111-गोरेयाकोठी** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **श्री संजय सिंह**, निवासी **ग्राम-मुसेपुर, पो0-गोपालपुर, थाना-बसन्तपुर, जिला-सिवान, बिहार**। इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार-वि.स./2020/111/सी.ई.एम.एस.-III]

आदेश से,

बिनोद कुमार, सचिव

**ORDER**

New Delhi, the 5th January, 2023

**O.N. 28.—WHEREAS**, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

**AND, WHEREAS**, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

**AND, WHEREAS**, the result of the said election along with **111-Goreyakothi** Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10<sup>th</sup> November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10<sup>th</sup> December, 2020;

**AND WHEREAS**, as per the report dated 24 **December, 2020**, vide letter no. 271 submitted by the District Election Officer, **Siwan**, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.-111) **Goreyakothi** -162, dated 06 January, 2021, **Sh. Sanjay Singh** a contesting candidate of Bihar from **111-Goreyakothi** Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

**AND WHEREAS**, on the basis of the reports of **the District Election Officer, Siwan**, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25<sup>th</sup> June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Sanjay Singh** for not lodging the account of Election Expenses;

**AND WHEREAS**, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25<sup>th</sup> June, 2021, **Sh. Sanjay Singh** was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

**AND WHEREAS**, the said notice was received by the candidate on 19.07.2021, at the address given by candidate The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, **Siwan**, vide its letter no.161- I /District.Nirva, dated 08.12.2022

**AND WHEREAS**, **the District Election Officer, Siwan**, in his Supplementary Report, vide its letter No. 161- I /Nirva., dated 08.12.2022 has reported that **Sh. Sanjay Singh** has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

**AND WHEREAS**, the Commission is satisfied that **Sh. Sanjay Singh** has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

**AND WHEREAS**, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- i. has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and
- ii. has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order”;

NOW, **THEREFORE**, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Sanjay Singh** resident of **Gram- Musepur, PO-Gopalpur, Thana-Basantpur, Distt-Siwan, Bihar** a contesting candidate from **111-Goreyakothi**, Assembly Constituency of the State of Bihar in the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/111/CEMS-III]

By Order,

BINOD KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 2023

**आ.अ. 29.—यतः**, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

**और यतः** लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

**और यतः 111-गोरेयाकोठी** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसम्बर, 2020 थी;

**और यतः**, जिला निर्वाचन अधिकारी, **सिवान**, बिहार के पत्र सं. 271 दिनांक 24 दिसंबर, 2020 द्वारा प्रस्तुत और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार द्वारा पत्र सं.व्यय-21/2020(खंड-111) गोरेयाकोठी -162 के जरिए अग्रेषित दिनांक 06 जनवरी, 2021 की रिपोर्ट के अनुसार **श्री मनोज कुमार सिंह**, जो बिहार विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2020 के निर्वाचन क्षेत्र **111-गोरेयाकोठी** से लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

**और यतः**, जिला निर्वाचन अधिकारी, **सिवान**, बिहार, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए **श्री मनोज कुमार सिंह**, को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

**और यतः**, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए **श्री मनोज कुमार सिंह**, को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

**और यतः**, उक्त नोटिस अभ्यर्थी द्वारा दिये गये पते पर अभ्यर्थी के द्वारा दिनांक 26.07.2021 को प्राप्त किया गया था। पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, **सिवान** द्वारा अपने दिनांक 08 दिसम्बर, 2022 के पत्र संख्या 166-I/निर्वा0, के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

**और यतः**, जिला निर्वाचन अधिकारी, **सिवान**, द्वारा दिनांक 08 दिसम्बर, 2022 के पत्र संख्या 166-I /निर्वा0, के जरिए प्रस्तुत की गई संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि **श्री मनोज कुमार सिंह**, ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

**और यतः**, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री मनोज कुमार सिंह**, निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है;

**और यतः**, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

- निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- उस असफलता के लिए कोई उचित कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

**अतः**, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के **111-गोरेयाकोठी** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **श्री मनोज कुमार सिंह**, निवासी **म0सं0 237 मखदुम सराय**, तरवारा **मोड़ सिवान**, पोस्ट- **सिवान**, थाना-**ओ0पी0सराय सिवान**, जिला- **सिवान बिहार**। इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार-वि.स./2020/111/सी.ई.एम.एस.-III]

आदेश से,

बिनोद कुमार, सचिव

**ORDER**

New Delhi, the 5th January, 2023

**O.N. 29.—WHEREAS**, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

**AND, WHEREAS**, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

**AND, WHEREAS**, the result of the said election along with **111-Goreyakothi** Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10<sup>th</sup> November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10<sup>th</sup> December, 2020;

**AND WHEREAS**, as per the report dated 24 **December, 2020**, vide letter no. 271 submitted by the District Election Officer, **Siwan**, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.-111) **Goreyakothi** -162, dated 06 January, 2021, **Sh. Manoj Kumar Singh** a contesting candidate of Bihar from **111-Goreyakothi** Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

**AND WHEREAS**, on the basis of the reports of **the District Election Officer, Siwan**, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25<sup>th</sup> June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Manoj Kumar Singh** for not lodging the account of Election Expenses;

**AND WHEREAS**, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25<sup>th</sup> June, 2021, **Sh. Manoj Kumar Singh** was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

**AND WHEREAS**, the said notice was received by the candidate on 26.07.2021, at the address given by candidate The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, **Siwan**, vide its letter no.161- I /District.Nirva, dated 08.12.2022

**AND WHEREAS**, **the District Election Officer, Siwan**, in his Supplementary Report, vide its letter No. 161- I /Nirva., dated 08.12.2022 has reported that **Sh. Manoj Kumar Singh** has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

**AND WHEREAS**, the Commission is satisfied that **Sh. Manoj Kumar Singh** has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

**AND WHEREAS**, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- i. has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and
- ii. has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order”;

NOW, **THEREFORE**, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Manoj Kumar Singh** resident of **H.No. 237 Makhdum Saray, Tarwara mor Siwan, Post-Siwan, Thana-O.P.Saray Siwan, Distt.-Siwan, Bihar**. a contesting candidate from **111-Goreyakothi**, Assembly Constituency of the State of Bihar in the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/111/CEMS-III]

By Order,

BINOD KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 2023

**आ.अ. 30.—यतः**, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

**और यतः** लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

**और यतः 111-गोरेयाकोठी** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसम्बर, 2020 थी;

**और यतः**, जिला निर्वाचन अधिकारी, **सिवान**, बिहार के पत्र सं. 271 दिनांक 24 दिसंबर, 2020 द्वारा प्रस्तुत और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार द्वारा पत्र सं.व्यय-21/2020(खंड-111) गोरेयाकोठी -162 के जरिए अग्रेषित दिनांक 06 जनवरी, 2021 की रिपोर्ट के अनुसार **कोनैन अहमद**, जो बिहार विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2020 के निर्वाचन क्षेत्र **111-गोरेयाकोठी** से लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

**और यतः**, जिला निर्वाचन अधिकारी, **सिवान**, बिहार, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए **कोनैन अहमद**, को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

**और यतः**, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए **कोनैन अहमद**, को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

**और यतः**, उक्त नोटिस अभ्यर्थी द्वारा दिये गये पते पर अभ्यर्थी के द्वारा दिनांक 29.07.2021 को प्राप्त किया गया था। पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, **सिवान** द्वारा अपने दिनांक 08 दिसम्बर, 2022 के पत्र संख्या 166-I/निर्वा0, के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

**और यतः**, जिला निर्वाचन अधिकारी, **सिवान**, द्वारा दिनांक 08 दिसम्बर, 2022 के पत्र संख्या 166-I /निर्वा0, के जरिए प्रस्तुत की गई संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि **कोनैन अहमद**, ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

**और यतः**, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **कोनैन अहमद**, निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

**और यतः**, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

- i. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- ii. उस असफलता के लिए कोई उचित कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

**अतः**, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के **111-गोरेयाकोठी** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **कोनैन अहमद**, निवासी **ग्राम-महम्मदपुर, पोस्ट- भिठी, थाना-गोरेयाकोठी, जिला-सिवान, पिन-841434 बिहार**। इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार-वि.स./2020/111/सी.ई.एम.एस.-III]

आदेश से,

बिनोद कुमार, सचिव

**ORDER**

New Delhi, the 5th January, 2023

**O.N. 30.—WHEREAS**, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

**AND, WHEREAS**, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

**AND, WHEREAS**, the result of the said election along with **111-Goreyakothi** Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10<sup>th</sup> November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10<sup>th</sup> December, 2020;

**AND WHEREAS**, as per the report dated 24 **December, 2020**, vide letter no. 271 submitted by the District Election Officer, **Siwan**, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.-111) **Goreyakothi** -162, dated 06 January, 2021, **Kounain Ahmad** a contesting candidate of Bihar from **111-Goreyakothi** Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

**AND WHEREAS**, on the basis of the reports of **the District Election Officer, Siwan**, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25<sup>th</sup> June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Kounain Ahmad** for not lodging the account of Election Expenses;

**AND WHEREAS**, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25<sup>th</sup> June, 2021, **Kounain Ahmad** was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

**AND WHEREAS**, the said notice was received by the candidate on 29.07.2021, at the address given by candidate The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, **Siwan**, vide its letter no.161- I /District.Nirva, dated 08.12.2022

**AND WHEREAS**, **the District Election Officer, Siwan**, in his Supplementary Report, vide its letter No. 161- I /Nirva., dated 08.12.2022 has reported that **Kounain Ahmad** has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

**AND WHEREAS**, the Commission is satisfied that **Kounain Ahmad** has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

**AND WHEREAS**, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- i. has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and
- ii. has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order”;

NOW, **THEREFORE**, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Kounain Ahmad** resident of **Gram-Mhammadpur, Post-Bhithi, Thana-Goreyakothi, Distt-Siwan, Pin-841434 Bihar** a contesting candidate from **111-Goreyakothi**, Assembly Constituency of the State of Bihar in the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/111/CEMS-III]

By Order,

BINOD KUMAR, Secy.

## आदेश

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 2023

**आ.अ. 31.—यतः**, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

**और यतः** लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेख की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

**और यतः 111-गोरेयाकोठी** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसम्बर, 2020 थी;

**और यतः**, जिला निर्वाचन अधिकारी, **सिवान**, बिहार के पत्र सं. 271 दिनांक 24 दिसंबर, 2020 द्वारा प्रस्तुत और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार द्वारा पत्र सं.व्यय-21/2020(खंड-111) गोरेयाकोठी -162 के जरिए अग्रेषित दिनांक 06 जनवरी, 2021 की रिपोर्ट के अनुसार **श्री अखिलेश्वर मिश्रा**, जो बिहार विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2020 के निर्वाचन क्षेत्र **111-गोरेयाकोठी** से लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

**और यतः**, जिला निर्वाचन अधिकारी, **सिवान**, बिहार, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए **श्री अखिलेश्वर मिश्रा**, को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

**और यतः**, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए **श्री अखिलेश्वर मिश्रा**, को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

**और यतः**, उक्त नोटिस अभ्यर्थी द्वारा दिये गये पते पर अभ्यर्थी के द्वारा दिनांक 13.07.2021 को प्राप्त किया गया था। पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, **सिवान** द्वारा अपने दिनांक 08 दिसम्बर, 2022 के पत्र संख्या 166-I/निर्वा0, के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

**और यतः**, जिला निर्वाचन अधिकारी, **सिवान**, द्वारा दिनांक 08 दिसम्बर, 2022 के पत्र संख्या 166-I /निर्वा0, के जरिए प्रस्तुत की गई संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि **श्री अखिलेश्वर मिश्रा**, ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

**और यतः**, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री अखिलेश्वर मिश्रा**, निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

**और यतः**, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

- निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- उस असफलता के लिए कोई उचित कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

**अतः**, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के **111-गोरेयाकोठी** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **श्री अखिलेश्वर मिश्रा**, निवासी **ग्राम-खैरनपुर, पो0-पकड़ी, थाना-मशरख, जिला- सारण बिहार**। इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार-वि.स./2020/111/सी.ई.एम.एस.-III]

आदेश से,

बिनोद कुमार, सचिव

**ORDER**

New Delhi, the 5th January, 2023

**O.N. 31.—WHEREAS**, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

**AND, WHEREAS**, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

**AND, WHEREAS**, the result of the said election along with **111-Goreyakothi** Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10<sup>th</sup> November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10<sup>th</sup> December, 2020;

**AND WHEREAS**, as per the report dated 24 **December, 2020**, vide letter no. 271 submitted by the District Election Officer, **Siwan**, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.-111) **Goreyakothi** -162, dated 06 January, 2021, **Akhileshwar Mishra** a contesting candidate of Bihar from **111-Goreyakothi** Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

**AND WHEREAS**, on the basis of the reports of **the District Election Officer, Siwan**, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25<sup>th</sup> June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Akhileshwar Mishra** for not lodging the account of Election Expenses;

**AND WHEREAS**, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25<sup>th</sup> June, 2021, **Akhileshwar Mishra** was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

**AND WHEREAS**, the said notice was received by the candidate on 13.07.2021, at the address given by candidate The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, **Siwan**, vide its letter no.161- I /District.Nirva, dated 08.12.2022

**AND WHEREAS**, the **District Election Officer, Siwan**, in his Supplementary Report, vide its letter No. 161- I /Nirva., dated 08.12.2022 has reported that **Akhileshwar Mishra** has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

**AND WHEREAS**, the Commission is satisfied that **Akhileshwar Mishra** has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

**AND WHEREAS**, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- i. has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and
- ii. has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order”;

NOW, **THEREFORE**, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Akhileshwar Mishra** resident of **Gram-Khairanpur, PO- Pakri, Thana-Mashrakh, Distt- Saran, Bihar** a contesting candidate from **111-Goreyakothi**, Assembly Constituency of the State of Bihar in the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/111/CEMS-III]

By Order,

BINOD KUMAR, Secy.

## आदेश

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2023

**आ.अ. 32.—यतः**, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

**और यतः** लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

**और यतः 210-दिनारा** विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसम्बर, 2020 थी;

**और यतः**, जिला निर्वाचन अधिकारी, रोहतास, बिहार के पत्र सं. 2293 दिनांक 16 दिसंबर, 2020 द्वारा प्रस्तुत और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार द्वारा पत्र सं.व्यय-21/2020(खंड-210)रोहतास-7811 के जरिए अग्रेषित दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार **श्री हरेन्द्र सिंह**, जो बिहार विधानसभा का साधारण निर्वाचन 2020 के निर्वाचन क्षेत्र **210-दिनारा** से लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

**और यतः**, जिला निर्वाचन अधिकारी, रोहतास, बिहार, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए **श्री हरेन्द्र सिंह**, को कारण बताओ नोटिस संख्या 76/बिहार-वि.स./2020/210/सी.ई.एम.एस.-III दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

**और यतः**, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए **श्री हरेन्द्र सिंह**, को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

**और यतः**, जिला निर्वाचन अधिकारी, रोहतास द्वारा अपने दिनांक 01.12.2022 के पत्र संख्या 1690/निर्वा0, के जरिए आयोग को यह सूचना दी की उक्त नोटिस अभ्यर्थी द्वारा दिये गये पते पर अभ्यर्थी के द्वारा दिनांक 02.08.2021 को प्राप्त किया गया था।

**और यतः**, जिला निर्वाचन अधिकारी, रोहतास द्वारा दिनांक 01.12.2022 के पत्र संख्या 1690/निर्वा0, के जरिए प्रस्तुत की गई आगे की संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि **श्री हरेन्द्र सिंह**, ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

**और यतः**, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री हरेन्द्र सिंह**, निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

**और यतः**, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

- i. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- ii. उस असफलता के लिए कोई उचित कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

**अतः**, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के **210-दिनारा** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **श्री हरेन्द्र सिंह**, निवासी ग्राम-लालाचक, थाना-धनसोई, जिला-बक्सर,

इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरहित है।

[फा. सं. 76/बिहार-वि.स./2020/210/सी.ई.एम.एस.-III]

आदेश से,

बिनोद कुमार, सचिव

## ORDER

New Delhi, the 10th January, 2023

**O.N. 32.—WHEREAS**, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

**AND, WHEREAS**, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

**AND, WHEREAS**, the result of the said election along with **210-Dinara** Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10<sup>th</sup> November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10<sup>th</sup> December, 2020;

**AND WHEREAS**, as per the report dated 16<sup>th</sup> December, 2020, vide letter no. 2293 submitted by the District Election Officer, **Rohtas**, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.-210)Rohtas-7811, dated 23 December, 2020, **Sh. Harendra Singh** a contesting candidate of Bihar from **210-Dinara** Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

**AND WHEREAS**, on the basis of the reports of **the District Election Officer, Rohtas**, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice No. 76/BR-LA/2020/210/CEMS-III dated 25<sup>th</sup> June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Harendra Singh** for not lodging the account of Election Expenses;

**AND WHEREAS**, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25<sup>th</sup> June, 2021, **Sh. Harendra Singh** was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

**AND WHEREAS**, the said notice was received by the candidate on 02.08.2021, at the address given by candidate The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, **Rohtas**, vide its letter no.1690/District.Nirva, dated 01.12.2022;

**AND WHEREAS**, the **District Election Officer, Rohtas**, in his Supplementary Report, vide its letter No.1690/Nirva., dated 01.12.2022 has reported that **Sh. Harendra Singh** has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

**AND WHEREAS**, the Commission is satisfied that **Sh. Harendra Singh** has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

**AND WHEREAS**, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- i. has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and
- ii. has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order”;

NOW, **THEREFORE**, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Harendra Singh** resident of **Gram-Lalachak, Thant-Dhansoi, Dist- Buxar**, a contesting candidate from **210-Dinara**, Assembly Constituency of the State of Bihar in the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/210/CEMS-III]

By Order,

BINOD KUMAR, Secy.

## आदेश

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2023

**आ.अ. 33.—यतः**, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

**और यतः** लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

**और यतः 210-दिनारा** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसम्बर, 2020 थी;

**और यतः**, जिला निर्वाचन अधिकारी, रोहतास, बिहार के पत्र सं. 2293 दिनांक 16 दिसंबर, 2020 द्वारा प्रस्तुत और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार द्वारा पत्र सं. व्यय-21/2020(खंड-210) रोहतास-7811 के जरिए अग्रेषित दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार श्री सत्येन्द्र अमरत्य कात्यायन, जो बिहार विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2020 के निर्वाचन क्षेत्र 210-दिनारा से लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

**और यतः**, जिला निर्वाचन अधिकारी, रोहतास, बिहार, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री सत्येन्द्र अमरत्य कात्यायन, को कारण बताओ नोटिस संख्या 76/बिहार-वि.स./2020/210/सी.ई.एम.एस.-III दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

**और यतः**, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री सत्येन्द्र अमरत्य कात्यायन, को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

**और यतः**, जिला निर्वाचन अधिकारी, रोहतास द्वारा अपने दिनांक 01.12.2022 के पत्र संख्या 1690/निर्वा0, के जरिए आयोग को सूचना दी गई की उक्त नोटिस अभ्यर्थी द्वारा दिये गये पते पर अभ्यर्थी के द्वारा दिनांक 21.07.2021 को प्राप्त किया गया था।

**और यतः**, जिला निर्वाचन अधिकारी, रोहतास द्वारा दिनांक 01.12.2022 के पत्र संख्या 1690/निर्वा0, के जरिए प्रस्तुत की गई आगे की संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री सत्येन्द्र अमरत्य कात्यायन, ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

**और यतः**, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री सत्येन्द्र अमरत्य कात्यायन, निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

**और यतः**, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

- निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- उस असफलता के लिए कोई उचित कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

**अतः**, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के 210-दिनारा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण

निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री सत्येन्द्र अमरत्य कात्यायन, निवासी ग्राम+पोस्ट-बभनौल, थाना-दावथ, जिला-रोहतास, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार-वि.स./2020/210/सी.ई.एम.एस.-III]

आदेश से,

बिनोद कुमार, सचिव

## ORDER

New Delhi, the 10th January, 2023

**O.N. 33.—WHEREAS**, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

**AND, WHEREAS**, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

**AND, WHEREAS**, the result of the said election along with **210-Dinara** Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10<sup>th</sup> November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10<sup>th</sup> December, 2020;

**AND WHEREAS**, as per the report dated 16<sup>th</sup> December, 2020, vide letter no. 2293 submitted by the District Election Officer, **Rohtas**, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.-210)Rohtas-7811, dated 23 December, 2020, **Sh. Satyendra Amartay Katyan** a contesting candidate of Bihar from **210-Dinara** Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

**AND WHEREAS**, on the basis of the reports of **the District Election Officer, Rohtas**, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice No. 76/BR-LA/2020/210/CEMS-III dated 25<sup>th</sup> June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Satyendra Amartay Katyan** for not lodging the account of Election Expenses;

**AND WHEREAS**, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25<sup>th</sup> June, 2021, **Sh. Satyendra Amartay Katyan** was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

**AND WHEREAS**, the said notice was received by the candidate on 21.07.2021, at the address given by candidate The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, **Rohtas**, vide its letter no.1690/District.Nirva, dated 01.12.2022;

**AND WHEREAS**, the District Election Officer, **Rohtas**, in his Supplementary Report, vide its letter No.1690/Nirva. dated 01.12.2022 has reported that **Sh. Satyendra Amartay Katyan** has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

**AND WHEREAS**, the Commission is satisfied that **Sh. Satyendra Amartay Katyan** has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

**AND WHEREAS**, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- i. has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and
- ii. has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order”;

NOW, **THEREFORE**, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Satyendra Amartay Katyan** resident of **Gram+Post- Babhanaul, Thana-Dawath, Dist-Rohtas**, a contesting candidate from **210-Dinara**, Assembly Constituency of the State of Bihar in the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 to be disqualified for being chosen as and for being

a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/210/CEMS-III]

By Order,

BINOD KUMAR, Secy.

### आदेश

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2023

**आ.अ. 34.—यतः**, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

**और यतः** लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

**और यतः 210-दिनारा** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसम्बर, 2020 थी;

**और यतः**, जिला निर्वाचन अधिकारी, रोहतास, बिहार के पत्र सं. 2293 दिनांक 16 दिसंबर, 2020 द्वारा प्रस्तुत और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार द्वारा पत्र सं.व्यय-21/2020(खंड-210)रोहतास-7811 के जरिए अग्रेषित दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार **श्री मृत्युन्जय पांडे**, जो बिहार विधानसभा का साधारण निर्वाचन 2020 के निर्वाचन क्षेत्र **210-दिनारा** से लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

**और यतः**, जिला निर्वाचन अधिकारी, रोहतास, बिहार, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए **श्री मृत्युन्जय पांडे**, को कारण बताओ नोटिस संख्या 76/बिहार-वि.स./2020/210/सी.ई.एम.एस.-III दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

**और यतः**, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए **श्री मृत्युन्जय पांडे**, को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

**और यतः**, जिला निर्वाचन अधिकारी, रोहतास द्वारा अपने दिनांक 01.12.2022 के पत्र संख्या 1690/निर्वा0, के जरिए आयोग को सूचना दी गई की उक्त नोटिस अभ्यर्थी द्वारा दिये गये पते पर अभ्यर्थी के द्वारा दिनांक 02.08.2021 को प्राप्त किया गया था।

**और यतः**, जिला निर्वाचन अधिकारी, रोहतास द्वारा दिनांक 01.12.2022 के पत्र संख्या 1690/निर्वा0, के जरिए प्रस्तुत की गई आगे की संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि **श्री मृत्युन्जय पांडे**, ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

**और यतः**, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री मृत्युन्जय पांडे**, निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

**और यतः**, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10 के अंतर्गत किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

- निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

- ii. उस असफलता के लिए कोई उचित कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के **210-दिनारा** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **श्री मृत्युन्जय पांडे**, निवासी **ग्राम-सरना, पोस्ट- भानपुर, थाना-दिनारा जिला-रोहतास**, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार-वि.स./2020/210/सी.ई.एम.एस.-III]

आदेश से,

बिनोद कुमार, सचिव

## ORDER

New Delhi, the 10th January, 2023

**O.N. 34.—WHEREAS**, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

**AND, WHEREAS**, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

**AND, WHEREAS**, the result of the said election along with **210-Dinara** Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10<sup>th</sup> November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10<sup>th</sup> December, 2020;

**AND WHEREAS**, as per the report dated 16<sup>th</sup> December, 2020, vide letter no. 2293 submitted by the District Election Officer, **Rohtas**, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.-210)Rohtas-7811, dated 23 December, 2020, **Sh. Mritunjay Pandey** a contesting candidate of Bihar from **210-Dinara** Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

**AND WHEREAS**, on the basis of the reports of **the District Election Officer, Rohtas**, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice No. 76/BR-LA/2020/210/CEMS-III dated 25<sup>th</sup> June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Mritunjay Pandey** for not lodging the account of Election Expenses;

**AND WHEREAS**, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25<sup>th</sup> June, 2021, **Sh. Mritunjay Pandey** was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

**AND WHEREAS**, the said notice was received by the candidate on 02.08.2021, at the address given by candidate The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, **Rohtas**, vide its letter no.1690/District. Nirva, dated 01.12.2022;

**AND WHEREAS**, the **District Election Officer, Rohtas**, in his Supplementary Report, vide its letter No.1690/Nirva., dated 01.12.2022 has reported that **Sh. Mritunjay Pandey** has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

**AND WHEREAS**, the Commission is satisfied that **Sh. Mritunjay Pandey** has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

**AND WHEREAS**, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- i. has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and
- ii. has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order”;

NOW, **THEREFORE**, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Mritunjay Pandey** resident of **Gram- Sarna, Post- Bhanpur, Thana-Dinara, Dist-Rohtas**, a contesting candidate from **210-Dinara**, Assembly Constituency of the State of Bihar in the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/210/CEMS-III]

By Order,

BINOD KUMAR, Secy.

### आदेश

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 2023

**आ.अ. 35.—यतः**, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के द्वारा की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

**और यतः**, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखों की सत्य प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

**और यतः**, 106-जीरादेई विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किए गए थे, इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसंबर, 2020 थी;

**और यतः**, जिला निर्वाचन अधिकारी, सिवान के पत्र सं. 271 दिनांक 24 दिसंबर, 2020 द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार, द्वारा पत्र सं. EXP.-21/2020(खंड-106)जीरादेई/157 के जरिए अग्रेषित दिनांक 6 जनवरी, 2021 की रिपोर्ट के अनुसार श्री विनोद तिवारी, जो बिहार के 106- जीरादेई विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

**और यतः**, जिला निर्वाचन अधिकारी, सिवान और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार, की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री विनोद तिवारी को कारण बताओ नोटिस सं. 76/बिहार/वि०स०/106/सी.ई.एम.एस.-III/2020 दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

**और यतः**, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री विनोद तिवारी को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

**और यतः**, जिला निर्वाचन अधिकारी, सिवान द्वारा अपने दिनांक 08/12/2022 के पत्र संख्या 165-1/निर्वाचन के जरिए आयोग को प्रस्तुत सूचना के अनुसार उक्त नोटिस श्री विनोद तिवारी द्वारा 10 जुलाई, 2021 को प्राप्त किया गया था;

**और यतः**, जिला निर्वाचन अधिकारी, सिवान द्वारा अपने दिनांक 08/12/2022 के पत्र संख्या 165-1/निर्वाचन के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री विनोद तिवारी ने न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

**और यतः**, आयोग को यह समाधान हो गया है कि श्री विनोद तिवारी निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

**और यतः,** लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग को यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई उचित कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

**अतः,** अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के 106- जीरादेई विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री विनोद तिवारी, तितरा टोले गंधुछापर तितरा, सिवान, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार/वि.स./106/सी.ई.एम.एस.-III/2020]

आदेश से,

बिनोद कुमार, सचिव

## ORDER

New Delhi, the 11th January, 2023

**O.N. 35.—WHEREAS,** the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

**AND, WHEREAS,** as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

**AND, WHEREAS,** the result of the said election along with 106-Ziradei Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10<sup>th</sup> November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10<sup>th</sup> December, 2020;

**AND WHEREAS,** As per the report dated 24<sup>th</sup> December, 2020, vide letter no.271 submitted by the District Election Officer, Siwan, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.-106)Ziradei/157, dated 06<sup>th</sup> January, 2021, **Shri Binod Tiwari**, a contesting candidate from 106-Ziradei Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

**AND WHEREAS,** on the basis of the reports of the District Election Officer, Siwan, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25<sup>th</sup> June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Shri Binod Tiwari**, for not lodging the account of Election Expenses;

**AND WHEREAS,** As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25<sup>th</sup> June, 2021, **Shri Binod Tiwari** was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

**AND WHEREAS,** the said notice was received by him on 10<sup>th</sup> July, 2021, at the address given by **Shri Binod Tiwari**, The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Siwan, vide its letter no. 165-1/Nirvachan dated 08<sup>th</sup> December, 2022;

**AND WHEREAS,** the District Election Officer, Siwan, in his Supplementary Report, vide its letter No. 165-1/Nirvachan dated 08<sup>th</sup> December, 2022 has reported that **Shri Binod Tiwari**, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

**AND WHEREAS**, the Commission is satisfied that **Shri Binod Tiwari**, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

**AND WHEREAS**, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- i. has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and
- ii. has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order”;

NOW, **THEREFORE**, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Binod Tiwari**, resident of **Titra Tole Gandhuchaapar Titra, Siwan**, a contesting candidate from 106- Ziradei Assembly Constituency in General Election to the Legislative Assembly of Bihar 2020, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/106/CEMS-III]

By Order,

BINOD KUMAR, Secy.

### आदेश

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 2023

**आ.अ. 36.—यतः**, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के द्वारा की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

**और यतः**, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सत्य प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

**और यतः**, 106-जीरादेई विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किए गए थे, इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसंबर, 2020 थी;

**और यतः**, जिला निर्वाचन अधिकारी, सिवान के पत्र सं. 271 दिनांक 24 दिसंबर, 2020 द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार, द्वारा पत्र सं. EXP.-21/2020(खंड-106)जीरादेई/157 के जरिए अग्रेषित दिनांक 06 जनवरी, 2021 की रिपोर्ट के अनुसार श्री मार्कण्डेय कुमार उपाध्याय उर्फ बुलेट बाबा, जो बिहार के 106- जीरादेई विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

**और यतः**, जिला निर्वाचन अधिकारी, सिवान और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार, की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री मार्कण्डेय कुमार उपाध्याय उर्फ बुलेट बाबा को कारण बताओ नोटिस सं. 76/बिहार/वि०स०/106/सी.ई.एम.एस.-III/2020 दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

**और यतः**, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री मार्कण्डेय कुमार उपाध्याय उर्फ बुलेट बाबा को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

**और यतः**, जिला निर्वाचन अधिकारी, सिवान द्वारा अपने दिनांक 08/12/2022 के पत्र संख्या 165-1/निर्वाचन के जरिए आयोग को प्रस्तुत सूचना के अनुसार उक्त नोटिस श्री मार्कण्डेय कुमार उपाध्याय उर्फ बुलेट बाबा द्वारा 22 जुलाई, 2021 को प्राप्त किया गया था;

**और यतः**, जिला निर्वाचन अधिकारी, सिवान द्वारा अपने दिनांक 08/12/2022 के पत्र संख्या 165-1/निर्वाचन के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री मार्कण्डेय कुमार उपाध्याय उर्फ बुलेट बाबा ने न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

**और यतः**, आयोग को यह समाधान हो गया है कि श्री मार्कण्डेय कुमार उपाध्याय उर्फ बुलेट बाबा निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

**और यतः**, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग को यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

- (क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- (ख) उस असफलता के लिए कोई उचित कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

**अतः**, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के 106-जीरादेई विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री मार्कण्डेय कुमार उपाध्याय उर्फ बुलेट बाबा, ग्राम+पो0-भैसाखाल, थाना-जीरादेई, जिला-सिवान, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार/वि.स./106/सी.ई.एम.एस.-III/2020]

आदेश से,

बिनोद कुमार, सचिव

## ORDER

New Delhi, the 11th January, 2023

**O.N. 36.—WHEREAS**, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

**AND, WHEREAS**, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

**AND, WHEREAS**, the result of the said election along with 106-Ziradei Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10<sup>th</sup> November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10<sup>th</sup> December, 2020;

**AND WHEREAS**, As per the report dated 24<sup>th</sup> December, 2020, vide letter no.271 submitted by the District Election Officer, Siwan, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.-106)Ziradei/157, dated 06<sup>th</sup> January, 2021, **Shri Markenday Kumar Upadhyay urf Bullet Baba**, a contesting candidate from 106-Ziradei Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

**AND WHEREAS**, on the basis of the reports of **the District Election Officer, Siwan, Bihar** and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25<sup>th</sup> June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the

Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Shri Markenday Kumar Upadhayay urf Bullet Baba**, for not lodging the account of Election Expenses;

**AND WHEREAS**, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25<sup>th</sup> June, 2021, **Shri Markenday Kumar Upadhayay urf Bullet Baba** was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

**AND WHEREAS**, the said notice was received by him on 22<sup>nd</sup> July, 2021, at the address given by **Shri Markenday Kumar Upadhayay urf Bullet Baba**, The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, **Siwan**, vide its letter no. 165-1/Nirvachan dated 08<sup>th</sup> December, 2022;

**AND WHEREAS**, the **District Election Officer, Siwan**, in his Supplementary Report, vide its letter No. 165-1/Nirvachan dated 08<sup>th</sup> December, 2022 has reported that **Shri Markenday Kumar Upadhayay urf Bullet Baba**, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

**AND WHEREAS**, the Commission is satisfied that **Shri Markenday Kumar Upadhayay urf Bullet Baba**, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

**AND WHEREAS**, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- i. has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and
- ii. has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order”;

NOW, **THEREFORE**, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Markenday Kumar Upadhayay urf Bullet Baba**, resident of **Village+Post- Bhansakhaal, Thana- Ziradei, Jila-Siwan**, a contesting candidate from 106- Ziradei Assembly Constituency in General Election to the Legislative Assembly of Bihar 2020, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/106/CEMS-III]

By Order,

BINOD KUMAR, Secy.

**आदेश**

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 2023

**आ.अ. 37.—यतः**, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के जरिए की गई थी।

और यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सत्य प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः **27-बाजपट्टी** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसम्बर, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सीतामढ़ी, बिहार के पत्र सं. 2026 दिनांक 18 दिसंबर, 2020 द्वारा प्रस्तुत और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार द्वारा पत्र सं.व्यय-21/2020 (खंड-27) बाजपट्टी-251 के जरिए अग्रेषित दिनांक 08 जनवरी, 2021 की निर्वाचन व्यय संवीक्षा रिपोर्ट के अनुसार **श्री मुकेश कुमार यादव**, जो बिहार विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2020 के निर्वाचन क्षेत्र **27-बाजपट्टी** से लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सीतामढ़ी, बिहार, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए **श्री मुकेश कुमार यादव**, को कारण बताओ नोटिस सं. 76/बिहार-वि.स./2020/27/सी.ई.एम.एस.-III दिनांक 21 अक्तूबर, 2021 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 21 अक्तूबर, 2021 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए **श्री मुकेश कुमार यादव**, को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा अपने दिनांक 22.12.2022 के पत्र संख्या 844/निर्वा0, के जरिए आयोग को सूचना दी गई की उक्त नोटिस अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 12.08.2022 को प्राप्त किया गया था।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा दिनांक 22.12.2022 के पत्र संख्या 844/निर्वा0, के जरिए प्रस्तुत की गई आगे की संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि **श्री मुकेश कुमार यादव**, ने न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री मुकेश कुमार यादव**, निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई उचित कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के **27-बाजपट्टी** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **श्री मुकेश कुमार यादव**, निवासी ग्राम- **श्री खण्डी भीठा**, थाना- **सुरसंड**, जिला-सीतामढ़ी, बिहार (843331)। इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार-वि.स./2020/27/सी.ई.एम.एस.-III]

आदेश से,

बिनोद कुमार, सचिव

**ORDER**

New Delhi, the 17th January, 2023

**O.N. 37.—WHEREAS**, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020.

**AND, WHEREAS**, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

**AND, WHEREAS**, the result of the said election along with **27-Bajpatti** Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10<sup>th</sup> November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10<sup>th</sup> December, 2020;

**AND WHEREAS**, as per the election expenditure scrutiny report dated 18<sup>th</sup> **December, 2020**, vide letter no. 2026 submitted by the District Election Officer, **Sitamarhi**, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.-27) Bajpatti-251, dated 08<sup>th</sup> January, 2021, **Sh. Mukesh Kumar Yadav** a contesting candidate of Bihar from **27-Bajpatti** Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

**AND WHEREAS**, on the basis of the reports of the **District Election Officer, Sitamarhi**, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, 76/BR-LA/2020/27/CEMS-III dated 21<sup>st</sup> October, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Mukesh Kumar Yadav** for not lodging the account of Election Expenses;

**AND WHEREAS**, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 21<sup>st</sup> October, 2021, **Sh. Mukesh Kumar Yadav** was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

**AND WHEREAS**, the said notice was received by the candidate on 12.08.2022. The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, **Sitamarhi**, vide its letter no. 844/Nirva. Sitamarhi, dated 22.12.2022;

**AND WHEREAS**, the **District Election Officer, Sitamarhi**, in his Supplementary Report, vide its letter No.844/Nirva.Sitamarhi, dated 22.12.2022 has reported that **Sh. Mukesh Kumar Yadav** has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

**AND WHEREAS**, the Commission is satisfied that **Sh. Mukesh Kumar Yadav** has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

**AND WHEREAS**, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- i. has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and
- ii. has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order”;

NOW, **THEREFORE**, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Mukesh Kumar Yadav** resident of **Vill- Shri Khandi Bhitha, PS – Sursand, Dist-Sitamarhi, Bihar-843331** a contesting candidate from **27-Bajpatti**, Assembly Constituency of the State of Bihar in the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/27/CEMS-III]

By Order,  
BINOD KUMAR, Secy.